खण्ड १—अंक १

१९ मार्च, १९५७ (मंगलवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

I
127

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(XV Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १ में अंक १ से अंक ८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

607 LSD

विषय-सूची

(खंड १—अंक १ से ८—१९ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १,२, ४, ५, ७, ८, ३, ६ और ९ . १-१२

प्रश्न का लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या १ . १२

दैनिक संक्षेपिका १३

अंक २—बुधवार, २० मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . .

तारांकित प्रश्न संख्या ११,१२, १३, १४, १६, १७, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९ और १५ . . . १४–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८ और २५ . . . . २९–३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २, ३ और ४ . . . . ३०

दैनिक संक्षेपिका ३१

अंक ३—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० से ३२, ३४ से ३७, ३९ से ४५ और ३३ . ३२–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८ . . . . . ४७-४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५ से १३ . . . ४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में शुद्धि . ५१

दैनिक संक्षेपिका ५२

अंक ४—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६, ४७, ५० से ५२, ५४, ४९ और ५३ . . ५३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८ और ५३ . . . ६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४ से १७ . . . ६४–६५

दनिक संक्षेपिका . . . ६६

अंक ५--सोमवार, २५ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६, ५९, ६० और ६२ से ७२ . . ६७–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५७ और ६१ ८२–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से २५ ८३–८८

तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में शुद्धि . . . ८९

दैनिक संक्षेपिका ९०

अंक ६--मंगलवार, २६ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७९, ८१, ८२, ८४ से ९६ . . ९१–११५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ११५–१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८० और ८३ . . . . ११६–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ४५ और ४५-क . . ११७–२४

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर में शुद्धि . . . १२४

दैनिक संक्षेपिका १२५–२६

अंक ७--बुधवार, २७ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८, ९८-क, १०० से १०६, १०८ से ११०, १११, ११२, ११४ और ११५ . . . . . १२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०-क और ११३ . . . १४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ से ५२ . . . १४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि . . . १५०

दैनिक संक्षेपिका १५१

अंक ८--गुरुवार, २८ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६ से १२१, १२३ से १२५, १२७ से १२९, १३१ और १३२ . . . . १५२–६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . १६८–७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६ और १३० . . . १७०–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ५७ . . १७१–७३

दैनिक संक्षेपिका १७४

सारांश १७५

अनुक्रमणिका . . . . . (१–४८)

टिप्पणी: किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

मंगलवार, १९ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री म० अ० अय्यंगार) पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आकाश-सीमा[१] का अतिक्रमण

†*१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ में पाकिस्तान ने कभी भारत की आकाश-सीमा का अतिक्रमण किया है;

(ख) यदि हां, तो १९५७ में अब तक कितने अतिक्रमण किये गये हैं;

(ग) क्या इस का विरोध किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) पाकिस्तानी विमानों द्वारा अतिक्रमण की दो घटनायें अब तक हमारी नजर में आयी हैं। कराची स्थित भारतीय उच्च-आयुक्तालय से हाल में इन दोनों घटनाओं के संबंध में पाकिस्तान सरकार से विरोध-प्रकट करने के लिये कहा गया है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कितनी घटनायें ऐसी हैं जिनमें उनको अतिक्रमण करने के लिये बाध्य किया गया और कितने अतिक्रमण उन्होंने जानबूझ कर किय ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : श्रीमान्, प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इन अतिक्रमणों में किस प्रकार के विमानों का प्रयोग किया गया था।

† **प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने "बाध्य हो कर किये गये अतिक्रमणों" के बारे में कुछ बात कही थी। मैं समझ नहीं पाया कि उनका तात्पर्य क्या था—अतिक्रमण करने के लिये उन्हें किसने बाध्य किया ? अतिक्रमण करने के लिये कोई बाध्य थोड़े ही कर सकता है। स्वाभाविक रूप से ये सब घटनायें सीमा के निकट ही घटती हैं।

मूल अंग्रेजी में

[१] Air Space

कभी कभी यह भी हो सकता है कि कोई विमान गलती से एक या दो मील इधर की ओर आ जाये—और ये विमान तीन या चार मील प्रति मिनट की गति से उड़ते हैं, कभी यह गति और भी अधिक हो सकती है। परन्तु हमारा ध्यान ऐसी उड़ानों पर होता है जिन्हें हम किसी घटनावश सीमा पर की गयी उड़ान से भी कुछ अधिक मानते हैं। जहां तक विमानों का प्रश्न है, निश्चय ही वे किसी भी प्रकार के विमान हो सकते हैं, परन्तु साधारणतया वे जेट विमान होते हैं।

† **श्री ब० स० मूर्त्ति** : इस प्रकार के अतिक्रमणों के क्या कारण हैं ?

† **श्री अनिल कु० चन्दा** : इस का उत्तर अभी ही दिया जा चुका है।

टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट, वाशरमामपट (मद्रास)

†* २. **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशरमामपट (मद्रास) के टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट का प्रबन्ध केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सैलम ले जाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

† **भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार ने इन्स्टीट्यूट का प्रबन्ध अपने हाथ में ले कर उसे सैलम ले जाने का निश्चय किया है। इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था अभी पूरी नहीं हो पाई है।

† **श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस संस्था में किस ढंग का कार्य किया जाता है ? यह संस्था किन चीजों में विशेषता प्राप्त करती है ?

† **श्री मनुभाई शाह** : बुनाई, विशेष रूप से हथकरघे से तैयार किये गये कपड़े पूर्ण करने और उसकी छपाई, संबंधी गवेषणा की जाती है।

† **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या भारत सरकार उस स्थान पर, जहां इसे ले जाने का प्रस्ताव किया गया है, इन्स्टीट्यूट खोलने के लिये भूमि प्राप्त करने वाली है ?

† **श्री मनुभाई शाह** : जी हां।

† **डा० रामा राव** : इन्स्टीट्यूट को दूसरे स्थान पर ले जाने के इस प्रस्ताव के क्या कारण हैं और उस पर कितना व्यय होगा ?

† **श्री मनुभाई शाह** : कारण यह है कि सैलम हथकरघे से बुनाई की कला का एक अच्छा केन्द्र है, और इस में २ लाख रुपये से अधिक व्यय नहीं होगा।

† **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत के अन्य भागों में भी ऐसे टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट स्थापित किये जाने वाले हैं; यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार के पास कोई योजना है ?

† **श्री मनुभाई शाह** : जी हां, एक और इंस्टीट्यूट बनारस में खोला गया है।

† **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या यह औद्योगिक सम्पदा[2] के प्रश्न से संबंधित है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

2 Industrial Estate.

† **श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं, यह योजना अखिल भारतीय हथ-करघा बोर्ड के अधीन है और औद्योगिक सम्पदा अथवा छोटे पैमाने के उद्योगों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या उत्तर बिहार में टैक्सटाइल मिल की स्थापना होने जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सवाल इंस्टीट्यूट के साथ ताल्लुक रखता है । टैक्सटाइल मिल से इसका कोई संबंध नहीं है ।

मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†* ४. **डा० सत्यवादी** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यम आय वर्ग के लिये गृह-निर्माण की योजना में क्या प्रगति हुई है ?

† **उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मई, १९५६ के, जब मैंने सभा में यह बताया था कि योजना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि ४ से ६ मास तक के समय के भीतर निर्णय कर लिया जायेगा, बाद समाज-सेवाओं संबंधी संसदीय समिति "घ" (आवास उप-समिति)[3] ने यह सिफारिश की कि इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से निकाल दिया जाये और योजना में इसके लिये ३ करोड़ रुपयों की जिस राशि का उपबंध किया गया है उसे योजना की अन्य गृह-निर्माण योजनाओं में लगा दिया जाये । योजना-आयोग ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । परन्तु, आयोग ने यह सिफारिश की है कि जीवन बीमा निगम द्वारा मध्यम आय वर्ग के लोगों को ऋण दिये जाने की संभावना की जांच की जाये । यह की जा रही है ।

तम्बाकू का आयात

†*५. **डा० रामा राव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के कृषि वस्तु करार के अधीन २८ फरवरी, १९५७ तक अमरीका से कितनी कच्ची तम्बाकू का आयात किया गया है;

(ख) तम्बाकू का मूल्य कितना तय किया गया है; और

(ग) सरकार उसका निबटारा किस प्रकार से करने वाली है ?

† **भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस करार के अनुसरण में अभी तम्बाकू का कोई भी आयात नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) बढ़िया क़िस्म की सिगरेटों का उत्पादन करने के हेतु भारतीय तम्बाकू में मिलाने के लिये सिगरेट निर्माताओं द्वारा देश में हर वर्ष कुछ खास परिमाण में बढ़िया क़िस्म की 'वर्जीनिया' तम्बाकू का आयात किया जाता है । मौजूदा क़रार के अधीन भी आयात अमरीकी व्यापारियों से तय किये जाने वाले मूल्यों पर सिगरेट निर्माता ही करेंगे ।

† **डा० रामा राव** : मंत्री महोदय ने सिगरेट निर्माताओं द्वारा किये जाने वाले साधारण आयात का उल्लेख किया है । परन्तु मेरा तात्पर्य अतिरिक्त वस्तु करार से था जिसके अधीन सरकार ६० लाख पौंड तम्बाकू का आयात करने के लिये राजी हो गयी है । यह तो साधारण उपयोग

---

† मूल अंग्रेजी में

3. Parliamentary Committee 'D' on Social Services (Sub-Committee on Housing).

अथवा आवश्यकताओं से कहीं अधिक है। इसका निबटारा सरकार किस प्रकार करेगी और इसके लिये सरकार कितनी कीमत देने को तैयार हो गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसका उत्तर तो मूल प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मिल जाता है। उस करार के अनुसरण में अब तक कुछ भी आयात नहीं किया गया है। यह सच है कि आगामी तीन वर्षों में ६० लाख पौंड का आयात किया जायेगा। और जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में कहा है, मूल्य यहां के निर्माताओं और अमरीका के निर्यात करने वाले व्यापारियों द्वारा आपस में तय किये जायेंगे।

† **डा० रामा राव** : मंत्री महोदय जानते हैं कि विशेष रूप से आंध्र को अपनी वर्जीनिया तम्बाकू बेचने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और हम उसे सोवियत संघ और चीन को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार इस ६० लाख पौंड का निबटारा किस ढंग से करेगी जब कि हम अपनी तम्बाकू ही नहीं बेच पा रहे हैं ?

† **श्री मनुभाई शाह** : यह करार करने से पहले इन सभी बातों पर विचार कर लिया गया था। अपने यहां की जिस तम्बाकू के विषय में माननीय सदस्य इतने चिंतित हैं उसी में मिलाने और उसी के निबटारे के लिये इस प्रकार की बढ़िया किस्म की 'वर्जीनिया' तम्बाकू का सामान्य-आयात अत्यावश्यक है। और इसी लिये हमने इस आयात का समझौता किया था।

† **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या आंध्र में पैदा की जाने वाली वर्जीनिया तम्बाकू बढ़िया किस्म की नहीं है; और यदि हां, तो फिर अमरीका से यह अतिरिक्त आयात क्यों किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य इस देश से बाहर भेजी जाने वाली वर्जीनिया तम्बाकू के आंकड़े देखें तो उन्हें पता चलेगा कि उसके ७५० लाख पौंड का प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है। कुछ विशेष किस्मों की वर्जीनिया तम्बाकू पैदा कर सकने के लिये ही ७५० लाख पौंड के निर्यात के मुकाबले केवल २५ लाख पौंड का आयात किया जा रहा है।

† **श्री राघवैया** : क्या सरकार को निश्चय-पूर्वक इस बात का पता है कि सरकार के कथनानुसार बढ़िया किस्म की सिगरेटों का निर्माण करने के लिये बढ़िया किस्म की जिस तम्बाकू का प्रयोग किया जाता है वह भारत में बिल्कुल पैदा नहीं की जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, सरकार ने इस तथ्य का पता लगा लिया है और इसी के लिये थोड़े आयात की अनुमति दे दी है।

विदेशों में प्रचार-कार्य

† **अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ७।

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : इसका उत्तर लम्बा है, लगभग एक पृष्ठ का होगा। श्रीमान्, क्या मैं उसे पढ़ कर सुनाऊं ?

† **अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि यह लगभग आधे पृष्ठ का है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह आधे पृष्ठ से अधिक है क्योंकि उस कागज की दूसरी तरफ भी कुछ लिखा हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आज क्योंकि अधिक प्रश्न नहीं हैं, इसलिये मंत्री महोदय उत्तर पढ़ दें ।

†* ७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा १९५६–५७ में विदेशों में भारत सम्बन्धी प्रचार को अधिक गति देने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) विदेशों में भारत सम्बन्धी प्रचार करने की आवश्यकताओं पर निरन्तर विचार किया जाता है, और इस सम्बन्ध में समय समय पर ऐसी कार्यवाहियां की जाती हैं जो कि सरकार के मतानुसार इसे अधिक प्रभावकारी बना सकेंगी ।

१९५६–५७ के वर्ष में की गई महत्वपूर्ण कार्यवाहियों में से कुछ निम्नलिखित हैं:—

(१) बैलग्रेड और दमिश्क में दो नये प्रचार कार्यालय स्थापित किये गये हैं। जद्दा स्थित भारतीय राजदूतावास में भी एक प्रचार-सहायक (पब्लिसिटी असिस्टेंट) नियुक्त कर दिया गया है ।

(२) जकार्ता, काठमंडू, काहिरा, न्यूयार्क, वाशिंगटन, सिडनी तथा कराची में हमारे पहले से ही विद्यमान प्रचार संस्थापनों को अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है ।

(३) अक्करा, बैंकाक, कोलम्बो, जकार्ता, कराची, लाहौर तथा नैरोबी स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों को सिनेमा दिखाने वाली गाड़ियां दी गई हैं। सिक्किम तथा ढाका में भी ऐसी सिनेमा गाड़ियां दी जा रही हैं ।

(४) बहुत सी पुस्तिकायें तथा रूपलेख*, जिनमें काश्मीर तथा गोआ समस्याओं के बारे में बहुत सी विदेशी भाषाओं में लिखी विशेष पुस्तिकायें भी सम्मिलित हैं, प्रकाशित किये गये और वितरण के लिये विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को भेजे गये ।

(५) उपयुक्त श्रव्य-दृश्य प्रचार सामग्री जैसे फिल्में, फोटोचित्र, ग्रामोफोन के रिकार्ड आदि के संभरण को बढ़ा दिया गया है ।

(६) बहुत से विदेशी पत्रकारों को इस देश का पर्यटन करने और यहां की वस्तुओं को अपनी आंखों से देखने के लिये विशेष सुविधायें दी गई हैं ।

(७) बुद्ध भगवान की २५००वीं जयन्ती के अवसर पर समस्त उपलब्ध साधनों के द्वारा विशेष प्रचार करने का प्रबन्ध किया गया था ।

(८) हमारे मिशनों को इस दिशा में प्रोत्साहित किया गया कि वे स्वयं मेले, उत्सव तथा प्रदर्शनियां आयोजित करें अथवा अन्य मेलों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों में भाग लें जिनमें भारतीय फिल्में दिखाई गयीं। सांस्कृतिक प्रदर्शन किये गय और भारतीय कला और शिल्प की वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया ।

---

† मूल अंग्रेजी में

* Feature article.

(ख) १९५६–५७ के वर्ष में प्रचार कार्यों को गति देने के लिये की गई कार्यवाहियों पर किये गये कुल खर्च का ठीक ठीक हिसाब लगाना कठिन है। तो भी इस वर्ष के दौरान में किया गया कुल खर्च अनुमानतः लगभग ९६,६९,००० रुपये है जबकि १९५५–५६ में किये गये खर्च की वास्तविक राशि ७२,८३,२१० रुपये थी।

† **श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या यह सही नहीं कि विदेशों में पर्याप्त प्रचार न होने के कारण काश्मीर समस्या को दूसरे देश ठीक प्रकार नहीं समझ रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह ठीक नहीं है; यह तो अपनी अपनी राय की बात है। लोग बहुत सी बातों के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। सम्भव है कि कई मामलों में माननीय सदस्य की राय ठीक हो यह बात नहीं कि प्रचार अपर्याप्त था। ऐसे प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये कुछ कठिन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** किन किन देशों के पत्रकारों को यहां आने का निमंत्रण भेजा गया और क्या उन्होंने हमारे देश के बारे में जो विचार प्रकट किये उन्हें एकत्र किया गया है और क्या वे हमारे पक्ष में हैं ?

† **श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरे पास कोई सूची तो नहीं है, परन्तु कई देशों के लोग यहां आये हैं। कुछ एक को नियमित रूप से आमंत्रित किया गया था, कुछ शिष्टमण्डलों में, कुछ अपने आप और कुछ एक पर्यटन तथा अन्य प्रयोजनों से आये हैं। मैं यह नहीं समझ सका कि उनके विचार एकत्र करने से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है, बाद में जो कुछ वे लिखते हैं उसका संग्रह हम अपने पास रखते हैं, यदि उनका यही अभिप्राय है तो हमने उनके विचार एकत्र किये हैं। हमारे पास कोई मनोविज्ञान विशेषज्ञ अथवा विश्लेषक तो है नहीं जो उनके मन की बातों का पता लगा सकें।

† **श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन्** : क्या सरकार को विदित है कि हमारे जो लोग इंगलैंड और अमरीका हो कर आये हैं उनका कहना है कि उन देशों में हमारा प्रचार बहुत कम है। क्या सरकार विशेषकर उन देशों में प्रचार बढ़ाने के बारे में कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। हमें यह विदित है। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह आलोचना अनुचित है। यह आलोचना उचित है, कुछ बुनियादी चीजें ऐसी हैं जिनका प्रचार के साधन से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। हम शिष्टता और सचाई के स्तर को बनाये रखते हुये प्रचार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विपक्षी दल शिष्टता और सचाई से कार्य नहीं करता। दूसरी एक बात यह भी है कि किसी देश के दूसरे देश में प्रचार की प्रतिक्रिया पर उस देश की अपनी नीति और वहां की प्रैस के सामान्य व्यवहार का भी प्रभाव रहता है जिसका किसी मामले के तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। वहां भी नीति के अनुसार कोई बात ठीक नहीं समझी जाती है और वहां की प्रैस और अन्य साधनों के द्वारा लोगों की एक धारणा बना दी जाती है तो उस मूल धारणा को केवल पुस्तिकाओं, पुस्तकों अथवा भाषणों से बदला नहीं जा सकता। माननीय सदस्य चाहे यह समझें कि संसार के सामने सचाई रखना ही पर्याप्त होगा और वह स्वीकार कर ली जायेगी। परन्तु यह इतना सरल नहीं है।

†**श्री गिडवानी :** पाकिस्तान ने विशेष कर अमरीका और ब्रिटेन में जो प्रचार किया है क्या उसका प्रभाव समाप्त करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की गई है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने अभी अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया है, इस बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है। हम चाहते हैं कि हम गलत वक्तव्यों और गलत प्रचार को स्पष्ट कर दें। माननीय सदस्य ने काश्मीर के बारे में कहा। यह केवल काश्मीर का ही प्रश्न नहीं है परन्तु इस में कई एक बातें हैं। बगदाद संधि है, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन है जिस से इसका एक दूसरा ही रूप हो जाता है, परन्तु स्वाभाविक है कि हम हर प्रयत्न करते हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या भाग (ख) में बताई गई ९६,००,००० रुपये की राशि में वह खर्च भी सम्मिलित है जो विदेश भेजे गये सदभावना शिष्टमंडलों पर किया गया। यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो वह राशि कितनी है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** सदभावना शिष्टमंडलों पर हुआ व्यय उस राशि में सम्मिलित नहीं है।

†**श्री न० मा० लिंगम् :** क्या विदेशों में हमारे मिशनों ने सरकार को प्रत्येक देश में आवश्यक प्रचार को बढ़ाने का सुझाव दिया था, और यदि हां, तो क्या सरकार ने उनका कार्यक्रम पूरी तरह स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** विदेशों में अपने मिशनों से हमें सामान्य गतिविधियों के बारे में, जिसमें प्रचार भी सम्मिलित है, नियमित रूप से प्रतिवेदन प्राप्त होते रहते हैं और उनके बारे में निर्णय करना सम्बन्धित मंत्रालय अथवा विभाग का काम है।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार ने कोई ठोस कार्यक्रम बनाया है जिसके अनुसार योग्य पत्रकार युवकों को विदेशी प्रचार के लिये नियुक्त किया जाये और जो पहले काम कर रहे हैं उनकी पदोन्नति की जाये और यह कार्य करने वालों को काफी भत्ता दिया जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस विषय में बनाये गये नियमों, विनियमों और विधियों के अनुसार हम लोगों को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही नियुक्त कर सकते हैं। हम अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिये किसी व्यक्ति को भले ही नियुक्त कर लें परन्तु अन्तिम रूप से उसे संघ लोक सेवा आयोग से ही स्वीकृत कराना होता है।

हथकरघों का पंजीयन

†***८. श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे भारत में हथकरघों का पंजीयन पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है ; और

(ग) क्या हथकरघों के पंजीयन के लिये पर्याप्त समय दिया गया है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां, ३० जून, १९५७ तक।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** सारे भारत में कितने हथकरघे हैं और विशेषकर मद्रास में कितने ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ८,९०,७६०; मद्रास में ४,३२,६०३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन भेजे गये हैं कि जो समय दिया गया वह पर्याप्त नहीं था, पंजीयन के लिये दी गई सुविधायें संतोषजनक नहीं थीं और पंजीयन प्राधिकारी सहयोग तथा सहानुभूति से कार्य नहीं करते ?

श्री मनुभाई शाह : पंजीयन के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि यह बात ठीक नहीं है। समय दो बार बढ़ाया जा चुका है और गत बार समय ३० जून, १९५७ तक बढ़ा दिया गया है। जहां तक पंजीयन प्राधिकारियों का सम्बन्ध है, वस्त्र आयुक्त ने पंजीयन के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिये मामलातदारों और तहसीलदारों को नियुक्त किया है। अभी तक पंजीयन में कोई रुकावट पड़ने के बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** आंकड़े और सांख्यिकी एकत्र करने, जैसे कि कृषि उत्पाद के बारे में का काम साधारणतः मुनसिफ और कारनाम जैसे ग्राम पदाधिकारियों को सौंपा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह काम तहसीलदार को क्यों सौंपा गया है। क्या यह ठीक नहीं कि ग्राम पदाधिकारियों को यह काम न सौंपने के कारण ही पंजीयन के काम को हानि पहुंची है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** माननीय सदस्य की धारणा ठीक नहीं है। इस मामले में अधिकतर तहसील मुख्यालयों और कुछ उप-मुख्यालयों में सहकारी समितियां ही सारा काम कर रही हैं। जो सुविधायें दी गई हैं वे पर्याप्त हैं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि कई इलाकों के हथकरघा बुनकर पंजीयन की प्रणाली से बहुत भयभीत हैं ? इस भय को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यदि माननीय सदस्य आदेश को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि वह दंड देने के नहीं बल्कि उन्नति के प्रयोजन से और हथकरघा बुनकरों को सहायता देने के लिये है और जब तक सरकार को यह पता न चले कि एक जिले में कितने हथकरघे चल रहे हैं तब तक प्रत्येक बुनकर को सहायता देना कठिन होगा। मूल प्रयोजन हथकरघा बुनाई को बढ़ावा देना और हथकरघा बुनकरों की सहायता करना है।

†**श्री राघवैया :** क्या सरकार को विदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से हथकरघे चल रहे हैं और जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा, सरकार ने अभी ग्राम पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त नहीं किया है ? क्या इस सहयोग के अभाव में यह पंजीयन असफल नहीं रहेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ग्राम पदाधिकारियों के सहयोग में कोई सन्देह नहीं है। पंजीयन प्राधिकारी तहसीलदार है। ग्राम पदाधिकारी बुनकरों की फार्म भरने और उन्हें मुख्यालय में लेजाने में सहायता कर रहे हैं।

†**श्री राघवैया :** इस पंजीयन के परिणामस्वरूप सरकार का बुनकरों को किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

श्री मनुभाई शाह : पंजीयन का प्राथमिक प्रयोजन गणना करना है। माननीय सदस्य को मालूम है कि गत तीन वर्ष में इन बुनकरों को ऋण तथा अनुदानों के रूप में लगभग ११ करोड़ रुपये दिये गये हैं और द्वितीय योजना में हथकरघों के लिये ऋण तथा अनुदान देने के लिये लगभग ३५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या हथकरघों के जाली पंजीयन को रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह तो विधि में पहले ही उपलक्षित है। कोई भी करघों का जाली पंजीयन नहीं करा सकता। फार्म इतना विस्तृत है कि उसमें करघे की किस्म, उसके पुर्जों आदि का उल्लेख करना पड़ता है ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने हैंडलूम्स रजिस्टर हुये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल २ लाख ३१ हज़ार ७६ हैंडलूम्स रजिस्टर हुये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये वह एक विस्तृत विवरण सभापटल पर रख दें ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : बुनकरों के मन में जो भय है कि यदि पंजीयन कराया गया तो उन पर कर लगाये जायेंगे, उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रैस नोट में हम ने यह बात कई बार स्पष्ट कर दी है कि यह केवल गणना है। इसमें कर का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री सु० चं० देव** : क्या पंजीयन के इन आंकड़ों से यह पता चल सकता है कि कितने प्रतिशत करघे बेकार रहते हैं और क्या सरकार के पास उन्हें पुनः चालू करने की कोई योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस आदेश का ठीक ठीक कारण यह देखना था कि कितने करघे बेकार रहते हैं। आशा है कि इस पंजीयन के परिणामस्वरूप सरकार को यह पता चल जायेगा कि देश में ठीक ठीक कितने करघे चल रहे हैं और उनकी अधिकाधिक सहायता कैसे की जा सकती है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या सरकार को विदित है कि यह बुनकर पहाड़ों की चोटियों और तलहटियों में दूर दूर स्थित स्थानों पर रहते हैं। यदि हां, तो क्या सरकार इसका अधिक प्रचार करने के लिये समय बढ़ाने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक सरकार को विदित है, उन्हें सूचित कर दिया गया है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से यह आशा रखता हूं कि वे भी उन्हें जानकारी देकर सरकार को सहयोग देंगे, हम उन्हें पहले ही काफ़ी समय दे चुके हैं।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या इन में वे भी सम्मिलित हैं जो खादी बुनते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे रेशम का काम करते हैं या हाथ से बुने धागे का अथवा कृत्रिम रेशम का, इस बारे में हम ने कोई भेदभाव नहीं रखा है।

कोयले की कीमतें

†**डा० रामा राव** : चूंकि हमारे पास पर्याप्त समय है मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रश्न संख्या ३ और ६ का उत्तर देने की अनुमति दी जाये ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** जी हां

†***३. श्री हो० ना० मुकर्जी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान स्वामियों का एक प्रतिनिधिमण्डल कोयले की कीमतें बढ़ाने के सिलसिले में हाल में उनसे मिला था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एक वर्ष में ही कोयले की कीमतें दुबारा बढ़ाने का विचार रखती है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) कोयला खान विवाद में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के पश्चात् कोयले की कीमतें बढ़ाने के सिलसिले में कोयला खान स्वामियों का एक प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में मंत्रालय के पदाधिकारियों से मिला था ।

(ख) अपीलीय न्यायाधिकरण के पञ्चाट के विरुद्ध अपील करने के लिये कोयला खान संस्थाओं को उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति दी गई है और अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू न करने के लिये अन्तरिम रोक आज्ञा भी दी गई है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही कीमत में परिवर्तन किया जा सकता है ।

†**श्री क० कु० बसु :** क्या न्यायाधिकरण ने निर्णय देने के पूर्व वर्तमान कीमत और कोयला खान स्वामियों द्वारा अर्जित मुनाफे की दर पर विचार किया है ? अपीलीय न्यायाधिकरण की उपपत्तियों पर आधारित निर्णय पर सरकार द्वारा पुनर्विचार करने और दर बढ़ाने के लिये कौन से तथ्य उत्तरदायी हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** न्यायाधिकरण ने कोयला खानों के उत्पादन लागत की गणना नहीं की है ; वह उन्हीं वक्तव्य पर निर्भर रही है जो उसके समक्ष दिये गये थे । सच तो यह है कि न्यायाधिकरण ने कहा था कि समुचित प्राधिकारियों द्वारा जांच के आधार पर ही निर्णय किया जायेगा। वेतन वृद्धि का विचार , जो उच्चतम न्यायालय के अन्तः क्षेप के कारण क्रियान्वित नहीं किया जा सका, अनेक तथ्यों पर आधारित था ।

†**श्री क० कु० बसु :** क्या यह सच नहीं है कि दोनों दलों ने अपने-अपने तथ्य न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये थे और क्या उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुष्टिकरण करने के पश्चात् ही निर्णय किया गया था ?

†**श्री सतीश चंद्र :** मूल न्यायाधिकरण ने तो इन विषयों पर अधिक विस्तृत रूप में विचार किया था, किन्तु अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील के समय केवल दलीलें ही सुनी थीं। उसने कह दिया है कि इस पर समुचित प्राधिकारी विचार करेंगे ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या कीमत में परिवर्तन कर उसे बढ़ाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है और यदि ऐसा किया गया तो क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही कीमत बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी ?

†**श्री सतीश चंद्र :** जी, हां । कीमतें अभी कुछ महीने पहले मूल न्यायाधिकरण द्वारा पञ्चाट घोषित किये जाने के पश्चात् ही बढ़ाई गई थीं। जहां तक वर्तमान पञ्चाट का सम्बन्ध है, कीमत बढ़ाने की घोषणा अभी तक नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** माननीय मंत्री ने कहा था कि कीमतों में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन उत्पादन की लागत में घोर विषमता है। सरकार को सदैव हानि उठानी पड़ रही है। क्या निरन्तर घाटे की इस स्थिति को रोकने के लिये सरकार कुछ कार्यवाही करेगी ?

†**श्री सतीश चंद्र :** मूल न्यायाधिकरण के पश्चात के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में मजूरी का अंश एकरूप हो गया है। सरकारी और गैर सरकारी सब प्रकार की कोयला खानों में वेतन-व्यवस्था अब समान है ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या अन्य उद्योग और विशेष रूप से इस्पात, सीमेंट आदि अत्यावश्यक उद्योग के उत्पाद पर इस वृद्धि के परिणाम की जांच की गई है ? यदि हां, तो इन उद्योगों में उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** स्पष्ट है कि अन्य उद्योगों में उत्पादन लागत पर कुछ प्रभाव होगा किन्तु यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं होगी। प्रत्येक उद्योग में इस मामले की जांच करनी पड़ सकती है।

†**श्री क० कु० बसु :** कोयले की कीमतों की प्रस्तावित वृद्धि निर्धारित करने में क्या सरकार का इरादा कोयला खानों के लाभ को वर्तमान स्तर पर रखना है अथवा यदि आवश्यकता हुई तो उनमें परिवर्तन कर दिया जायेगा ?

†**श्री सतीश चंद्र :** कोयला खानों के लाभ का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । अतिरिक्त मजूरी और मजदूरों को अन्य सुविधायें देने के लिये ही यह वृद्धि की जायगी। मूल पंचाट को क्रियान्वित करते समय मूल्य में वृद्धि केवल उसी सीमा तक की गयी है जहां तक कि कुछ क्षेत्रों में यह उद्योग अपने अधिक मुनाफे में से ही इसे अदा कर सके ।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि इन कोल माइन्स वर्कर्स को प्राविडेंट फंड भी मिलता है ?

श्री सतीश चंद्र : जी हां, मिलता है ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

†*६. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय श्रम सम्मेलन के पन्द्रहवें सत्र के आयोजन में विलम्ब के कारण;

(ख) अब यह सम्मेलन कब आयोजित होगा ;

(ग) क्या सम्मेलन में चर्चा किये जाने वाले विषयों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वे विषय कौन से हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). सामान्यतः भारतीय श्रम सम्मेलन का सत्र १९५६ के अन्त में होना चाहिये था, किन्तु अनेक राज्य सरकारों के राज्य पुनर्गठन

†मूल अंग्रेजी में

और निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में व्यस्त होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। राज्यों में नये मंत्रिमण्डलों के प्रतिष्ठापन के पश्चात् इस बैठक के आयोजन का विचार है।

(ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्रम कल्याण (मैंगनीज श्रमिक)

†*९. **श्री त० ब० बिट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगनीज की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये, कोयला खानों के श्रमिकों के स्तर पर, श्रम कल्याण संगठन की स्थापना कब तक की जायेगी ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये किसी विधि निर्माण का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). संगठन की स्थापना आवश्यक विधि बनने के पश्चात् की जायेगी। विधान के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

प्रश्न का लिखित उत्तर

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

†१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में कौन से विकास कार्य किये गये हैं; और

(ख) उक्त अवधि में कितना धन खर्च किया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १९५६ में उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण प्रदेश में निम्न क्षेत्रों में विकास कार्य किये गये :

(१) इंजीनीयरिंग
(२) कृषि तथा पशुपालन
(३) वनविद्या
(४) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा
(५) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य
(६) शिक्षा
(७) कुटीर उद्योग
(८) गवेषणा
(९) प्रचार

(ख) उक्त अवधि में इन कार्यों पर खर्च की गई राशि का कुल योग लगभग ३५ लाख ३६ हजार रुपये है।

---

†मूल अंग्रजी में

दैनिक-संक्षेपिका

[मंगलवार, १९ मार्च, १९५७]

		पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१–१२
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
१.	आकाश-सीमा का अतिक्रमण	१–२
२	टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट, वाशरमामपट (मद्रास)	२–३
४	मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना	३
५	तम्बाकू का आयात	३–४
७	विदेशों में प्रचार कार्य	४–७
८	हथकरघों का पंजीयन	७–९
३	कोयले की कीमतें	१०–११
६	भारतीय श्रम सम्मेलन	११–१२
९	श्रम कल्याण (मैंगनीज श्रमिक)	१२
प्रश्न का लिखित उत्तर—		१२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण	१२

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २——प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १, १९५७

(१८ मार्च से २८ मार्च, १९५७)

1st Lok Sabha
(XV Session)

Preservation Unit
9-4-92
Fumigated
Out 11/11/83
Parliament Library

पन्द्रहवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

(भाग २—वाद-विवाद खंड १—१८ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १८ मार्च १९५७—

कुछ सदस्यों का निधन १

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २

राष्ट्रपति का अभिभाषण . २–७

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तरप्रदेश में खाद्यान्न स्थिति . . ८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८–१२

लोक-लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १२

सदस्यों द्वारा पद त्याग १२

दैनिक संक्षेपिका . १३–१६

अंक २—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७—

श्री पी० एस० कुमार स्वामी राजा का निधन १७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १७–२०

प्राक्कलन समिति—

चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन २१

सदस्य द्वारा पदत्याग . . २१

रेलवे आय-व्ययक, १९५७–५८—

उपस्थापित २१–२४

१९५६–५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण २४

१९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण २५

केरल राज्य की संचित निधि में से किये गये व्यय का विवरण २५–२६

१९५६–५७ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का विवरण . २६

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक . . २६–२८

विचार के लिये प्रस्ताव . . . २६

खंड २ से ७ और १ . . . . . २७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८

विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक . . . २८–३८

विचार के लिये प्रस्ताव २८

खंड २ से ९ और १ . . . . ३५–३८

	पृष्ठ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	३८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के बारे में . .	३८
सामान्य आय-व्ययक १९५७–५८ उपस्थापित . .	३८–४२
वित्त विधेयक	४२–४३
पुरस्थापित	४२
नियम समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	४३
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	४३
दैनिक संक्षेपिका	४४–४७

अंक ३—बधवार, २० मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९, ५०
प्राक्कलन समिति—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	५०
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . .	५०–८४
दैनिक संक्षेपिका	८५

अंक ४—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
अड़सठवां प्रतिवेदन	८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन . .	८९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . .	८९–१००
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५६–५७ .	१००–०६
अनुपूरक अनुदानों की अनपूरक मांगें १९५६–५७ अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १९५२–५३ . } .	१०६–१९
अनुदानों की मांगें, केरल	१२०–२४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . .	१२५–२९
दैनिक संक्षेपिका	१३०–३३

अंक ५—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१३५
राज्य सभा से संदेश	१३५

पृष्ठ

विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा गया
प्राक्कलन समिति १३६
उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन . . . १३६
सदस्यों द्वारा पदत्याग १३६
विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरस्थापित . . १३६
विनियोग विधेयक . . . १३६–३७
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरस्थापित . . . १३७
केरल विनियोग विधेयक—प्रस्थापित . . . १३७
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १३८–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १६६–६७
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . . १६७–७०
गन्ने का मूल्य नियत करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प . १७२–७७
दैनिक संक्षेपिका १७८–७९

अंक ६—शनिवार, २३ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १८१
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—
बीसवां प्रतिवेदन १८१
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८१–८२
विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८२
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८३
केरल विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव . . १८३
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . १८–९४, १९–२२३
सभा का कार्य . . . १९४
दैनिक संक्षपिका २२४

अंक ७—सोमवार, २५ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २२५–२६
प्राक्कलन समिति—
इक्यावनवां, छप्पनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन . . २२७

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा पद-त्याग	२२७
केरल आय-व्ययक, १९५७–५८	२२७–२८
राष्ट्रपति से संदेश	२२९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रस्ताव . . .	२२९–६१
दैनिक संक्षेपिका . .	२६२–६३

अंक ८—मंगलवार, २६ मार्च, १९५७—

श्री सत्यप्रिय बैनर्जी का निधन .	२६५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	२६५
राज्य-सभा से संदेश . .	२६६
लोक-लेखा समिति—	
बाइसवां प्रतिवेदन	२६६
आक्कलन समिति—	
अड़तालीसवां और अठावनवां प्रतिवेदन .	२६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
विनयनगर के रेलवे फाटक के निकट दुर्घटना .	२६६–६७
अनुपस्थिति की अनुमति .	२६८
सदस्य द्वारा पद-त्याग . . .	२६८
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२६८–६९
लेखानुदानों के लिये मांगें .	२७९–३००
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३०१
वित्त विधेयक, १९५७—	
विचार के लिये प्रस्ताव . .	३०१
खण्ड १ से ६ . .	३०२
पारित करने का प्रस्ताव .	३०२–०३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .	३०३–०९
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन . . .	३०६
सभा का कार्य	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३१०–११

	पृष्ठ
अंक ९— बुधवार, २७ मार्च, १९५७—	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३११–१६
लोक-लेखा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन	३१६
प्राक्कलन समिति—	
बावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन . . .	३१६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत में तेल की खोज के संबंध में हुई प्रगति . .	३१६–१८
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पास करने का प्रस्ताव . .	३१८
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .	३१८–३३
लेखे पर अनुदान की मांगें (रेलवे) . .	३३३–४७
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—	
पुरःस्थापित	३४८
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३४८–५३
दैनिक संक्षेपिका	३५४–५६
अंक १०—गुरुवार, २८ मार्च, १९५७—	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	३५७–६०, ३६५
हिन्दी पर्याय समिति का प्रतिवेदन . .	३६०
राज्य-सभा से संदेश	३६१
लोक-लेखा समिति—	
तेइसवां प्रतिवेदन	३६१
प्राक्कलन समिति—	
छियालीसवां, तिरपनवां से पचपनवां और साठवां से छासठवां प्रतिवेदन	३६१
याचिका समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन . . .	३६२
आश्वासनों संबंधी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	३६२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
ऐसे बीमा समवायों की पालसियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है ।	३६२–६३
स्थगन प्रस्ताव—	
कालीघाट फाल्टा रेलवे को बन्द करने के बारे में निर्णय	३६३–६४
सदस्यों द्वारा पद-त्याग	३६५

	पृष्ठ
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३५९
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पास करने के प्रस्ताव . . .	३५९
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३६०–७२
लेखानुदान की मांगें—केरल, १९५७–५८ . . .	३७२–८२
केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—	
पारित	३८२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . . .	३८२–९०
विचार करने का प्रस्ताव	३८२
खंड १ से ३	३९०
पारित करने का प्रस्ताव	३९०
राष्ट्रपति के निर्वाचन और नई लोक-सभा के गठन के बारे में चर्चा .	३९०–९५
विदाई भाषण	३९५–४०१
दैनिक संक्षेपिका	४०२–०५
पन्द्रहवें सत्र में किये गये कार्य का संक्षेप . . .	४०६–०७
अनुक्रमणिका	(१–१०४)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, १९ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.३० बजे

श्री पी० एस० कुमारस्वामी राजा का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को श्री पी० एस० कुमारस्वामी राजा के दुखद निधन की सूचना देनी है। उनकी मृत्यु १५ मार्च १९५७ को, मद्रास में हृदयगति अवरुद्ध होने के कारण हुई। वे पूरानी केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य भी थे।

हम सभा की ओर से उनके परिवार को अपनी समवेदनायें प्रेषित करते हैं। सभा को शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़ा होना चाहिये।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विदेशी व्यक्ति (विमुक्ति) आदेश, १९५७

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत)** : मैं सभा पटल पर विदेशी व्यक्ति अधिनियम, १९५६ की धारा ३ क की उपधारा (२) के अधीन १९ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७० में प्रकाशित विदेशी व्यक्ति (विमुक्ति) आदेश, १९५७ की एक प्रति रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस० १९/५७]**

भारत और बर्मा की सरकारों के बीच वित्तीय समझौता

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं सभा पटल पर भारत सरकार और बर्मा संघ की सरकार की बीच हुए वित्तीय समझौते की एक प्रति रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस० २०/५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में।

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना और निर्वाचन याचिकाओं का निपटाया जाना) नियमों के संशोधनों के बारे में अधिसूचनायें

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : मैं सभा पटल पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अधीन लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना और निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः रखता हूं।

(एक) १६ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७१९। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—४८७/५६]**

(दो) १४ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३०६८। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस—५७२/५६]**

मैं सभा पटल पर लोक प्रतिनिधित्व ऐक्ट, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अधीन लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना और निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली ४ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ०४१२ की एक प्रति भी रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—२१/५७]**

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों का तैयार करना) नियमों के संशोधन के बारे में अधिसूचना

†**श्री विश्वास** : मैं सभा पटल पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अधीन लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली १० जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४० की एक प्रति रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—२२/५७]**

विमान निगम नियमों के संशोधनों के बारे में अधिसूचना

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं सभा पटल पर विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अधीन, विमान निगम नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली १९ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या ७—सी० ए० (८)/५५ की एक प्रति रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—२३/५७]**

एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्री पाटस्कर** : मैं विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन वर्ष १९५५–५६ के लिये एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—२४/५७]**

पुनर्वास आवास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : मैं श्री मेहर चन्द खन्ना की ओर से सभा पटल पर समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अधीन ३१ दिसम्बर, १९५५ में

---

†मूल अंग्रेजी में।

समाप्त होने वाले वर्ष के लिये पुनर्वास आवास निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस--२५/५७]**

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के संशोधन के बारे में अधिसूचनायें

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : मैं श्री मेहर चन्द खन्ना की ओर से सभा पटल पर विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १६५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अधीन विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १६५५ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) १५ जनवरी, १६५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३००/ संशोधन ग्यारह।

(दो) २१ जनवरी, १६५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८२/ संशोधन बारह।

(तीन) ३१ जनवरी, १६५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४३४/ संशोधन तेरह। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—२६/५७]**

निष्क्रांत सम्पत्ति (केन्द्रीय) व्यवस्था नियमों के संशोधनों के बारे में अधिसूचनायें

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : मैं, श्री मेहर चन्द खन्ना की ओर से, सभा पटल पर निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम १६५० की धारा ५६ की उप-धारा (४) के अधीन निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) व्यवस्था नियम, १६५० में कुछ संशोधन करने वाली २० फरवरी, १६५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ६६७ की एक प्रति रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस--२७/५७]**

नारियल जटा बोर्ड का छमाही प्रतिवेदन

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं श्री कानूनगो की ओर से सभा पटल पर, नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १६५३ की धारा १६ की उप-धारा (१) के अधीन नारियल जटा बोर्ड के १ अप्रैल, १६५६ से ३० सितम्बर, १६५६ तक की अवधि के कार्यों के छमाही प्रतिवेदन की एक प्रति रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस--२८/५७]**

रबर उद्योग के बारे में बागान जांच आयोग का प्रतिवेदन

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं श्री कानूनगो की ओर से सभा पटल पर स्वर्गीय के० जी० शिवस्वामी के विमति टिप्पण तथा अनुबन्धों और परिशिष्टों सहित रबड़ उद्योग के बारे में बागान जांच आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस--२६/५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में।

काफी नियमों के संशोधनों के बारे में अधिसूचनायें

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं श्री कानूनगो की ओर से सभा पटल पर काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अधीन काफी नियम, १९५५ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति रखता हूं :

(एक) १८ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या १५(२) प्लांट/बी/५६ ।

(दो) १८ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या १५(१०) प्लांट/बी/५६ । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस--३०।५७]**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं श्री कानूनगो की ओर से सभा पटल पर अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा (३) की उप-धारा (६) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति रखता हूं :

(एक) १८ जुलाई, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९६७ ।

(दो) २३ अगस्त, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८८५ ।

(तीन) १९ अक्तूबर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४०३ ।

(चार) १९ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३१५१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस--३१/५७]

मैं सभा पटल पर तारीख १९ दिसम्बर, १९५६ की एस० आर० ओ० संख्या ३१५२ की एक प्रति भी रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस--३१/५७]**

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सभा पटल पर प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति रखता हूं ।

(१) मोटर उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(२) २३ जनवरी, १९५७ का सरकारी संकल्प संख्या २१(४)--टी० बी० ५६

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस--३२/५७]

औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन और अनुज्ञापन के नियमों के संशोधनों के बारे में अधिसूचनायें

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सभा पटल पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ३० की उपधारा (४) के अधीन औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन और अनुज्ञापन नियम, १९५२ में कुछ संशोधन करने वाली १ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ६९१--आई० डी० आर० ए०/३०/१/५७ की एक प्रति रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस--३३/५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्राक्कलन समिति

चवालीसवां और पैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता (गोहिलवाड़)** : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करता हूं :

(१) समिति के चौथे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में, सरकार द्वारा की गई कार्य-वाही के सम्बन्ध में चवालीसवां प्रतिवेदन ।

(२) सामुदायिक विकास मंत्रालय (सामुदायिक परियोजना प्रशासन) के बारे में पैंतालीसवें प्रतिवेदन का भाग ४ ।

मैं इस सम्बन्ध में सभा को यह बता देना चाहता हूं कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, ३७९ के अधीन, पैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रकाशित कर पिछले सत्र की समिति के बाद सदस्यों को परिचालित किया जा चुका है ।

सदस्य द्वारा पद-त्याग

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री उदयशंकर दुबे ने १५ मार्च, १९५७ से लोक-सभा के अपने पद में त्याग-पत्र दे दिया है ।

रेलवे आयव्ययक १९५७-५८

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं सभा के सामने रेलवे से सम्बन्धित वार्षिक वित्तीय विवरण रखता हूं जिसमें वर्ष १९५७–५८ की अनुमित आय और व्यय दिया गया है ।

माननीय सदस्य जानते हैं कि १९५७–५८ के समूचे वर्ष के लिये अनुदानों की मांगों पर मतदान करने का कार्य नयी संसद् पर ही छोड़ दिया गया है, जिसका थोड़े ही समय बाद उद्घाटन होने को है । मैं सभा से केवल उतनी ही राशि के लिये मतदान करने का अनुरोध कर रहा हूं । जितनी कि आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों के अनुमित व्यय के लिये आवश्यक होगी । वार्षिक वित्तीय विवरण में पूरे वर्ष के प्राक्कलन इसलिये दे दिये गये हैं, कि आपको प्रथम पांच महीनों के लिये राशि मंजूर करने में सुविधा हो । १९५२–५३ के पूर्व दृष्टांत का अनुसरण करते हुए, आय-व्ययक सम्बन्धी पत्रों के साथ एक श्वेतपत्र भी परिचालित किया जा रहा है, जिसमें आय-व्ययक सम्बंधी भाषण में उल्लिखित अधिकांश विषयों की चर्चा की गई है । इसीलिये, इस अवसर पर मेरे लिये कोई लम्बा-चौड़ा भाषण करना अनावश्यक है । मैं रेलवे के वित्त और संचालन तथा प्रशासन से सम्बन्धित कुछ ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में कहूंगा ।

सब से पहले तो मैं रेलवे की वित्तीय स्थिति को लेता हूं । वर्ष १९५५–५६ ही वह अन्तिम वर्ष है जिसका पूरा-पूरा लेखा उपलब्ध है । उस वर्ष में वास्तविक अतिरिक्त राशि १४·२२ करोड़ रुपये थी, जबकि पुनरीक्षित प्राक्कलन में ९·५८ करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि का अनुमान किया गया था । अतिरिक्त राशि की इस वृद्धि का कारण यह था कि आय अनुमान से २·१९ करोड़ रुपये अधिक और व्यय अनुमान से २·४५ करोड़ रुपये कम हुआ था । इस और अधिक अतिरिक्त राशि को विकास निधि में जमा कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री जगजीवनराम]

चालू वर्ष में, यातायात से होने वाली सकल आय के पुनरीक्षित प्राक्कलन का आय-व्ययक से ५ करोड़ रुपये स अधिक अनुमान किया गया है । यह वृद्धि यात्री यातायात से होने वाली अपेक्षाकृत अधिक आय के कारण ही की गई है । कार्यवहन व्यय के अन्तर्गत भी, आय-व्ययक की तुलना में, ५·०४ करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः कोयले और इमारती सामान के संविहित मूल्यों और श्रम की दरों इत्यादि में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है । आय-व्ययक तैयार करते समय इनमें वृद्धि की आशा नहीं थी । यह वृद्धि दिसम्बर के सत्र के दौरान में सभा द्वारा स्वीकृत की गई अनुपूरक मांगों में आंशिक रूप से सम्मिलित थी, और उनके बाद भी आवश्यक शेष राशि के लिये नयो अनुपूरक मांगें मैं अभी शीघ्र ही सभा के विचार के लिये प्रस्तुत करूंगा । साधारण राजस्व के लिये अदा किया जाने वाला लाभांश आय व्ययक की अपेक्षा १·९८ करोड़ रुपये कम है । और इसके अतिरिक्त उसमें और भी छोटे मोटे परिवर्तन किये गये हैं । इन सबका परिणाम यह है कि अतिरिक्त राशि में लगभग ४ करोड़ रुपयों की वृद्धि हो गई है । प्रस्ताव यह है कि इस अतिरिक्त राशि को विकास निधि में जमा कर दिया जाये ।

अब आगामी वर्ष के प्राक्कलनों को लीजिये । उनमें यातायात से होने वाली सकल आय ३६८·५० रुपये आंकी गई है, जिसका आधार किराये और वस्तु भाड़े का वर्तमान स्तर है और जिसमें पार्सलों और वस्तुओं पर लगने वाला ६ $\frac{1}{4}$ प्रतिशत अनुपूरक मूल्य भी सम्मिलित है । इस प्राक्कलन को तैयार करते समय, वर्तमान प्रवृत्तियों और भावी आशाओं को देखते हुए, चालू वर्ष के मुकाबले यात्री यातायात में तीन प्रतिशत और वस्तु यातायात में पांच प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान कर लिया गया है । आशा है कि चालू वर्ष की तुलना में कार्यवहन व्यय में भी १४.८२ करोड़ रुपयों की वृद्धि हो जायेगी । इसमें से ४·६ करोड़ रुपयों की वृद्धि संचालन की बढ़ी हुई लागत के कारण हुई है, जो यात्री सेवाओं और वस्तु यातायात की संभावित वृद्धि के साथ बढ़ ही जायेगी । इनमें से लगभग ३·३२ करोड़ रुपयों की वृद्धि का इंजिन तथा डिब्बों की और अधिक मरम्मत के लिये अनुमान किया गया है । और, शेष वृद्धि का अनुमान कर्मचारियों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को देख कर किया गया है, जिसमें २·२० करोड़ रुपयों की अदायगी की उस व्यवस्था को भी सम्मिलित कर लिया गया है, जिसके संबंध में मैंने हाल ही में घोषणा की गई थी और जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों की कुछ श्रणियों के लिये १ अप्रैल, १९५६ से उनकी पदाली में कुछ भूतलक्षी समायोजनायें करना पड़ेंगी । आशा है कि विविध व्यय के अन्तर्गत लगभग ३ करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी, जो मुख्यतया चालू लाइनों पर काम के लिये होगी और जो राजस्व से देय होगी । आशा है कि अगले वर्ष साधारण राजस्व का लाभांश ४३·८ करोड़ रुपये हो जायेगा, जबकि चालू वर्ष में वह ३७·६९ करोड़ रुपये ही था । अतिरिक्त राशि लगभग २१·४३ करोड़ रुपये हो जायेगी । प्रस्ताव यह है कि इस पूरी राशि को विकास निधि में जमा कर दिया जाये ।

मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि अगले वर्ष के वित्तीय विवरण में आय का जो प्राक्कलन दिया गया है वह अस्थायी ही है । सदस्यगण जानते हैं कि जुलाई १९५५ में भारतीय रेलवेज़ के भाड़ा-ढांचे के पुनरीक्षण का कार्य एक उच्च स्तरीय समिति को सौंप दिया गया था, जिसमें इस सभा के भी दो सदस्य सम्मिलित हैं आशा है कि वह अब शीघ्र ही अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे लेगी और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी । सरकार चाहती है कि अगले वित्तीय वर्ष में, जहां तक व्यावहारिक हो सके, इन सिफारिशों पर विचार कर के उनको कार्यान्वित भी कर दिया जाये, और माननीय सदस्यों को यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि इसका प्रभाव उस प्राक्कलित आय पर भी पड़ेगा, जो अगले वर्ष के आय-व्ययक में सम्मिलित की जा चुकी है । अभी इस समय स्पष्ट ही है कि हम इस का अनुमान नहीं लगा सकते कि समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं की दरों के स्तर

में किस सीमा तक रूप भेद हो जायेगा और उस के फलस्वरूप प्राक्कलित आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा। फिर भी, हमें आशा है कि नयी सभा में फिर से आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय, समिति की सिफ़ारिशों और उन सिफारिशों की कार्यान्विति के प्रभाव के संबंध में कुछ बता सकना सम्भव होगा।

अब निर्माण-कार्यों, इंजन,-डिब्बों और मशीनों के आय-व्ययक को लीजिये। रेलवे को आशा है कि वह चालू वर्ष में १७८ करोड़ रुपयों का ही व्यय करेगी, जबकि मूल व्यवस्था १९३ करोड़ रुपयों की थी, यानी १५ करोड़ रुपयों की न्यूनता रहेगी। निर्माण-कार्यों पर होने वाले व्यय में लगभग १२ करोड़ रुपयों की न्यूनता रहेगी। यह न्यूनता और भी अधिक हो जाती, लेकिन चालू वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन में कुछ नयी मदों के सम्मिलित हो जाने, जैसे कि चालू वर्ष में 'टैल्को' को लगभग ३$\frac{3}{4}$ करोड़ रुपयों की राशि और दी गई, यह उतनी अधिक नहीं हो पाई है। यह पूरा वर्ष इस्पात, सीमेंट, पटरियों आदि की सामग्री, इत्यादि की अत्यावश्यक सामग्रियों की उपलब्धता की अत्यधिक कमी होने के कारण बड़ी चिन्ता का वर्ष रहा है। निर्माण-कार्यों, इंजन-डिब्बों और मशीनों का अगले वर्ष का आय-व्ययक २१८ करोड़ रुपयों का रखा गया है, जिसमें सभी नयी लाइनों और इस्पात तथा कोयले के बढ़े हुए उत्पादन से सम्बन्धित अतिरिक्त यातायात का वहन करने के लिये आवश्यक लाइनों की क्षमता बढ़ाने के महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की व्यवस्था की गई है। अगले वर्ष के निर्माण-कार्यों का कार्यक्रम किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके लिये अत्यावश्यक सामग्री की यथेष्ट मात्रा समय पर उपलब्ध होती है या नहीं। रेलवे के लिये यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और रेलवे बोर्ड, अन्त संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से, पटरियों, स्लीपरों, इत्यादि की सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रहा है, और वह इस्पात, सीमेंट, इत्यादि के उपयोग में मितव्ययता के उपाय करने के साथ ही साथ, जहां भी सम्भव हो सके इनके विकल्पों, अर्थात् इनके स्थान पर प्रयुक्त की जा सकने वाली सामग्रियों के उपयोग की दिशा में भी और आगे जांच-पड़ताल कर रहा है।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान श्वेत-पत्र की पुस्तकालय टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें रेलवे द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में प्राप्त की गई सफलताओं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति में की गई प्रगति को एक संक्षिप्त रूप में बताया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६६ करोड़ रुपयों की लागत की लगभग ८४२ मील लम्बी नयी लाइनों के निर्माण की व्यवस्था की गई है, जिसमें कई पुलों का निर्माण भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, नये बड़े बड़े पुलों के निर्माण के लिये भी अलग से १५ करोड़ रुपयों की एक व्यवस्था की गई है। लाइनों की पुनर्संस्थापना के लिये भी लगभग ३५० करोड़ रुपयों की एक व्यवस्था की गई है, जिसमें से ११८ करोड़ रुपये पटरियों और पुलों की पुनर्संस्थापना के लिये रखे गये हैं। योजना में वर्तमान पुलों की पुनर्संस्थापना और नये पुलों के निर्माण की इतनी अधिक व्यवस्था की जाने के कारण, अब यह अत्यावश्यक हो गया है कि इन निर्माण-कार्यों के निष्पादन में जल सम्बन्धी विज्ञान की सब से हाल की सफलताओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाये। भारतीय रेलों को जल सम्बन्धी इंजीनियरिंग, विशेषकर पुलों के निर्माण, नदियों को बांधने तथा उनके नियंत्रण के नमूने तैयार करने में जल-पथों को निश्चित बनाने से सम्बन्धित जल-विज्ञान की शाखा, के क्षेत्र में अगुणी कार्य करने का श्रेय प्राप्त है। इस विज्ञान की अन्य कई शाखाओं की भांति, यह शाखा भी लगातार प्रगति करती रही है, और देश के विभिन्न प्रदेशों में इसके सम्बन्ध में यथेष्ट सूचना तथा सामग्री संग्रह की जा चुकी है। हाल ही में, समूचे भारत में कई बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनायें आरम्भ की गई हैं, और इसका भी इस जल विज्ञान पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिये, अब जल इंजीनियरिंग और जल विज्ञान से सम्बन्धित सभी उपलब्ध जानकारी को संग्रहीत और संचित करने और उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत

[श्री जगजीवन राम]

चलने वाले पुलों के निर्माण तथा पुलों की पुनर्संस्थापना के कार्य में लगे रेलवे इंजीनियरों को सुलभ बना देने के लिये यही समय सब से अधिक उपयुक्त समझा गया है। इसीलिये, रेलवे मंत्रालय ने इंजीनियरों की एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त कर दी है, जिसमें केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के भूतपूर्व सभापति और अब रुड़की विश्वविद्यालय के उपकुलपति, डा० ए० एन० खोसला, सभापति के रूप में सम्मिलित हैं। यह समिति जल-पथों के लिये उचित नमूने और सूत्र विहित करेगी और पुलों के ढांचों को सुरक्षित रखने, संरक्षणात्मक निर्माण-कार्यों इत्यादि के संबंध में अन्य अनुदेश जारी करेगी।

श्वेत-पत्र में उन प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा हमने देश में ही रेलों की आवश्यकताओं को पूरी करने से सम्बन्धित उत्पादन के क्षेत्र में एक सीमा तक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की कोशिश की है। चूंकि इनके नमूनों में लगातार सुधार होता जा रहा है और एक प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि के बिना इन में कोई भी आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं की जा सकती, इसीलिये वर्तमान गवेषणा के नमूने और प्रमापीकरण संगठन में और भी अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, और मैं उसके लिये उपयुक्त कार्यवाही कर रहा हूं।

चालू वर्ष में रेलवे संचालन के क्षेत्र में, एक संतोषप्रद बात यह है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूल स्टेशनों से भेजे जाने वाले भार की मात्रा में लगभग दस प्रतिशत वृद्धि हो गई है और सारे देश में यातायात की गति अब अपेक्षाकृत अधिक मुक्त हो गई है, विशेषकर मुगलसराय के बड़ी से छोटी लाइनें बदलने के यानान्तरण के अधिकांश स्थानों में, जिसका ब्यौरा श्वेत-पत्र में दिया गया है। इंजन-डिब्बों विशेषकर माल-डिब्बों, के उपयोग के क्षेत्र में भी ऐसा ही सुधार हुआ है। यात्री और मालगाड़ियों द्वारा तय किये जाने वाले मार्ग के मीलों में भी लगातार वृद्धि हुई है, और बड़ी लाइन पर प्रति दिन प्रति माल डिब्बे द्वारा ढोये जाने वाले टन मीलों की कुल संख्या ५४१ तक बढ़ गई है। देश में माल डिब्बों ने इतने टन मील कभी भी तय नहीं किये थे।

मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष के दौरान में कर्मचारियों के पारस्परिक संबंध भी बड़े संतोषप्रद रहे हैं। श्वेत-पत्र में, कर्मचारियों के हितों से सम्बन्धित विषयों का भी ब्यौरा दिया गया है। यहां उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, एक बात के संबंध में मैं कुछ कहूंगा। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की ऊंची श्रेणियों में पदोन्नति के मामले में यह देखा गया है कि वर्तमान नियम उसमें बाधा उपस्थित करते हैं और कुछ श्रेणियों के लिये तो पदोन्नति की कोई संभावना ही नहीं है। मैं इस मामले की जांच कराऊंगा और देखूंगा कि इन कर्मचारियों को उनकी कार्य कुशलता से संगत पदोन्नति की अधिक सम्भावनायें जुटाई जायें।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं सभी रेलवे कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे इस मंत्रालय का भार सम्भालने के इस थोड़े से काल में मुझे पूरा-पूरा सहयोग, और सहायता दी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कारण उन पर एक भारी उत्तरदायित्व आ पड़ा है लेकिन मुझे विश्वास है कि वे उसे निभाने में समर्थ होंगे।

†**श्री फिरोज़ गांधी** : (जिला प्रतापगढ़-पश्चिम व जिला रायबरेली--पूर्व) : क्या रेलवे संहिता के खण्ड १ और २ हमें दिये जायेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं इसका पता लगाऊंगा।

१९५६-५७ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० ति० कृष्णमाचारी)** : मैं १९५६ के आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

१९५२-५३ के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण

†वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० ति० कृष्णमाचारी) : मैं १९५२–५३ के आय-व्ययक (समवाय) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

केरल राज्य की संचित निधि में से किये गये व्यय का विवरण

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० ति० कृष्णमाचारी): मैं १९५६ के वित्तीय वर्ष के अंतिम पांच महीने में केरल राज्य की संचित निधि में से किये गये व्यय का, जिसका अधिकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ की धारा ७० के अधीन दिया गया था, विवरण पेश करता हूं ।

राज्य पुनर्गठन की धारा ७० के अन्तर्गत राज्य पाल प्रत्येक नये राज्य की संचित निधि में से चालू वर्ष के अन्तिम पांच मास के लिये खर्च करने का अधिकार दे सकता है । यद्यपि अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस प्रकार के किये गये खर्चे को राज्य विधान मंडल से विनियमित करवाया जाय, परन्तु फिर भी ऐसा करना ही ठीक समझा गया । प्रथम नवम्बर १९५६ को राष्ट्रपति की उद्घोषणा के अनुसार केरल के विधान मंडलीय अधिकार संसद् को प्राप्त है इस कारण यह अनुमान संसद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं ।

संसद् के समक्ष अभी हाल ही में १९५७–५८ के लिये केरल राज्य का बजट प्रस्तुत किया जायेगा और माननीय सदस्यों को उसका परीक्षण करने का अवसर प्राप्त होगा । चालू वर्ष के अनुदानों पर मैं कुछ विस्तार से नहीं कहना चाहता । इस काल के प्राप्त राजस्व का अनुदान १३.०४ करोड़ और खर्च का अनुदान १३.७४ करोड़ रुपये हैं । ७० लाख का घाटा है । इसके अतिरिक्त ८.१३ करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय भी इसमें सम्मिलित है । १.३१ करोड़ रुपया राज्य सरकार द्वारा ऋण और पेशगियों के लिये है । १८ लाख रुपया स्थायी ऋण की पुनः अदायगी के लिये हैं । पूंजीगत खर्चे में मुख्य विषय सिंचाई है जो कि १.४५ करोड़ रुपये का है । औद्योगिक विकास के लिये ६९ लाख रुपये, असैनिक कार्यों के लिये ३.१७ करोड़ रुपये और विद्युत योजनाओं के लिये २.५३ करोड़ रुपये हैं ।

इन अनुदानों में १३.८४ करोड़ रुपये जोकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत आने वाली प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्यों को पूरा करने वाली योजनाओं के लिये है, सम्मिलित है । यह भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन के अवशिष्ट क्षेत्र के लिये उस राज्य के मूल बजट अनुदानों के आधार पर निर्धारित किया गया था । और इसी प्रकार मलाबार जिले के लिये भी मद्रास राज्य के मूल बजट अनुमानों के आधार पर ही निर्धारित किया गया ।

राज्य के कुल खर्च का अनुमान १०·४२ करोड़ रुपये है और उसे ३·७७ करोड़ रुपये केन्द्र से ऋण लेकर पूरा किया जायेगा । राज्य की सरकारी प्रतिभूतिया २ करोड़ की होंगी; नकद शेष १.५५ करोड़ रुपये, और अन्य कर्जों तथा दूसरे मामलों से प्राप्त २.१ करोड़ रुपया है । राजस्व और पूंजीगत खर्चे, और कर्जे बाटने का सभी अधिकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम में प्राप्त है, परन्तु उन्हें स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है । वर्ष के अन्तिम परिणामों से कुछ बचत का पता चलेगा जिससे राज्य की १९५७-५८ की बजट स्थिति में सुधार हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

१९५६-५७ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का विवरण

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: मैं १९५६–५७ के बजट (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण उपस्थापित करता हूं।

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५६

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह बड़ा सरल विधान है। गत वर्ष के आरम्भ में राष्ट्रपति ने जो उद्घोषणा की थी जिसके द्वारा नावीय क्षेत्र का छः मील तक विस्तार कर दिया गया था उसी के कारण इस विधान की आवश्यकता हुई है। सदन को पता है कि प्रत्येक समुद्रीय राज्य के अधिकार में एक समुद्रीय क्षेत्र होता है, जिसे "जल प्रांगण" कहते हैं और उस पर उसका उतना ही अधिकार है जितना कि भूमि पर होता है। कुछ देशों में यह क्षेत्र तट के साथ साथ तीन मील तक होता है और कुछेक में छः नावीय मील तक होता है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अधिनियम क्षेत्र होता है। इस देश में कुछ समय पूर्व तक हमारा विचार यह था कि हमारे समुद्र क्षेत्र की चौड़ाई ३ मील ही है। परन्तु परीक्षण करने पर पता चला कि हम ऐसे छः मील के क्षेत्र पर अधिकार कर सकते हैं। इस कारण राष्ट्रपति की उद्घोषणा गत वर्ष के आरम्भ में करनी पड़ी।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून और प्रथा के अनुसार इस प्रकार के समुद्री राज्य को सीमा शुल्क, वित्तीय, आप्रवास और स्वच्छता आदि के मामले में अपने जल प्रांगण के परे भी लगे हुये क्षेत्र में कुछ सीमित अधिकार होते हैं। ये ही अधिकार जलप्रांगण से आगे छः मील के क्षेत्र तक होते हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र तट से १२ मील तक हो जाता है।

इसके लिये एक विशेष विधि का होना आवश्यक है। इसी कारण इस विधान को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। माननीय सदस्य देखेंगे कि हमने अभी अपनी प्रस्थापनाओं को सीमा शुल्क की आवश्यकताओं तक ही सीमित रखा है, परन्तु समय आने पर आप्रवास तथा स्वच्छता के मामले में भी ऐसे क्षेत्र में अपना नियन्त्रण लागू कर देंगे। उस समय हम पुनः सदन से आवश्यक अधिकार प्राप्त करने के लिये कहेंगे। अभी हमारी सीमा शुल्क की आवश्यकतायें बहुत आवश्यक हैं, इस कारण इस विधेयक की व्यवस्था अन्य देशों के सीमा शुल्क के विधानों के ढंग पर की गयी है, इससे हमें चोरी छिपे माल लाने ले जाने को रोकने में सहायता मिलेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ (नये अध्याय ६क का रखा जाना)

किया गया संशोधन :

पृष्ठ १, पंक्ति ११ में दूसरी बार आ रहा शब्द "section" (धारा) हटा दिया जाये ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४ से ७ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १ (संक्षिप्त नाम)

किया गया संशोधन :

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में "1956" (१९५६) के स्थान पर "1957" (१९५७) रखा जाय ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र

किया गया संशोधन :

पष्ठ १, पंक्ति १ में "Seventh year" (सातवें वर्ष) के स्थान पर "Eighth year" (आठवें वर्ष) रखा जाय ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का संक्षिप्त नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का संक्षिप्त नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री अ० चं० गुह: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेशी व्यक्ति अधिनियम १९४६ तथा विदेशियों का पंजीयन अधिनियम १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह बड़ा सरल विधान है, इसे गत नवम्बर में सदन के समक्ष रखा गया था परन्तु दूसरे आवश्यक कामों के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका । परन्तु स्थिति ऐसी थी कि शीघ्र ही कार्यवाही की जानी ज़रूरी थी । इस कारण १९ जनवरी को एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें वही उपबन्ध थे जो इस विधेयक में हैं । अब मुझे उस विधेयक को प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है । काफी समय हुआ विदेशी व्यक्ति अधिनियम पारित हुआ था । यह स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले की स्थिति के अनुरूप था । और उसके पश्चात् यह व्यर्थ हो गया । क्योंकि हमारा अपना भी नागरिकता का कोई कानून नहीं था, इस लिये हम उसमें संशोधन न कर सके । गत वर्ष सदन ने नागरिकता अधिनियम पारित किया, और यह विधेयक उसी से सम्बन्धित है । पुराने समय में 'विदेशी व्यक्ति' की परिभाषा उस समय की स्थिति के अनुसार थी । अब हमने परिभाषा में संशोधन कर दिया है । इसके परिणाम स्वरूप भारत के नागरिकों के अतिरिक्त बाकी सभी इस संशोधन विधयक के अन्तर्गत आ जायेंगे । इसके साथ ही हमने यह अधिकार प्राप्त किये कि हम किसी भी राष्ट्र मंडलीय देश को इस विधेयक के नियन्त्रण से मुक्त कर दें । इसके साथ ही विदेशी व्यक्ति पंजीयन अधिनियम भी सम्बन्धित है, उसमें भी संशोधन किया जायेगा ।

एक अधिसूचना द्वारा कुछ राष्ट्र मंडलीय देशों को इस विदेशी व्यक्तियों की परिभाषा से मुक्त किया है, परन्तु फिर भी इन देशों के किसी भी व्यक्ति पर यह परिभाषा लागू करने का हमें अधिकार प्राप्त है ।

इस अधिनियम की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जब तक हम विदेशी सत्ता के अधीन रहे हमारी 'भारतीय नागरिक' की कोई परिभाषा नहीं थी । अब हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कुछ विशेष अधिकार है, और जिसे वे अधिकार प्राप्त नहीं, वह 'विदेशी व्यक्ति' है । इसके अतिरिक्त अपने अपने क्षेत्रों में राज्य सरकारों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । कुछ लोग जो पड़ोसी देशों अथवा पाकिस्तान से पारपत्र, या वीया लेकर भारत आये, उनके मामले में ठीक कार्यवाही नहीं हो सकी । साथ ही ऐसे लोग जो बिना ऐसे पारपत्र के यहां रहते रहे उनका कुछ नहीं किया जा सका । और उन पर यह कानून लागू न हो सका । हमारे पास समुचित अधिकार नहीं थे कि हम उन्हें ठीक ढंग से वापिस भेज सकें । उनके बारे में आदेश तो दिये गये थे, परन्तु कार्यान्वित न हो सके और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न हो सकी । इस तरह हमारे सामने बहुत कठिनाइयां थीं । हम राज्य सरकारों को उनकी गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने और सावधान रहने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं कर सके । अब इस संशोधन विधेयक के अनुसार हम सभी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों का ठीक ढंग से मुकाबला कर सकेंगे । मुझे सदन का अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह विवादास्पद विधान नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : राष्ट्रमंडल के किस किस देश को मुक्त किया गया है ?

†**पंडित गो० ब० पंत** : अधिसूचना जारी कर दी गयी है, राष्ट्र मंडल के पाकिस्तान और दक्षिण अफ़्रीका को छोड़ सभी देशों को मुक्त किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री क० कु० बसु** : माननीय अध्यक्ष महोदय विधेयक प्रस्तुत करतें हुये माननीय मंत्री ने कहा है कि यह विधेयक विवादास्पद नहीं और जनवरी में लागू किये गये अध्यादेश के अनुसार इसे तैयार किया गया है । परन्तु नागरिकता अधिनियम पर चर्चा के समय सदन इस बात पर एक मत था कि यदि राष्ट्रमण्डलीय देशों को कोई रियायात देनी हो तो लंका, बर्मा और नेपाल को भी दी जाये । परन्तु अधिसूचना में दक्षिण अफ़्रीका और पाकिस्तान को छोड़ राष्ट्रमण्डलीय देशों का ही उल्लेख है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या लंका राष्ट्र मंडलीय देश नहीं ?

†**श्री क० कु० बसु** : बरमा और नेपाल को भी रियायत होनी चाहिये । राष्ट्र मण्डलीय देशों को ही यह विशेष सुविधा देने का आखिर कारण क्या है ? कई ऐसे देश हैं जोकि राष्ट्र-मंडल में होते हुये भी भारत के विरुद्ध हैं, और कई बाहर के देशों के सम्बन्ध हम से अच्छे हैं । क्योंकि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बढ़ रहे हैं, इस लिये हमें उसके अनुसार ही श्रेणियां बनानी चाहिये । परन्तु भारत सरकार राष्ट्र मंडलीय भावना से अधिक प्रभावाधीन दिखाई देती है ।

पास्कितान को इस मामले में छूट नहीं दी गयी । यह बात हमारी समझ में आती है कि पिछले कुछ समय से हमारे सम्बन्ध उससे अच्छे नहीं । परन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्षों यहां काम करते रहे हैं, साम्प्रदायिक झगड़ों में वे पाकिस्तान चले गये थे, और अब वापिस आ गये है । ये लोग अधिकतर ट्रामवे तथा अन्य परिवहन और यातायात निकायों में काम करते हैं । यदि इन्हें छूट न दी गयी तो कई आवश्यक परिवहन सेवाओं में गड़बड़ होने का भय होगा । इसलिये यदि वे यह सिद्ध कर दें कि वे काफी वर्षों तक समुद्रीय अथवा अन्य परिवहन में कार्य करते रहे हैं तो उन्हें पाकिस्तान न जाने दिया जाये । क्योंकि स्थानीय अधिकारियों ने कई लोगों को ऐसा करने के लिये कहा था । कई ऐसे भी लोग हैं जिनके घर पूर्वी बंगाल के ग्रामों में हैं और काम वे सारी आयु कलकत्ते में करते रहे हैं तो उनके लिये कुछ छूट की व्यवस्था होनी चाहिये । उन्हें नौकरी से हटवा कर पाकिस्तान नहीं भेजा जाना चाहिये । यदि अंग्रेजों को छूट दी जा सकती है, तो इन गरीब मजदूरों के लिये भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये । मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस समस्या की ओर ध्यान देंगे और समय आने पर विधेयक में आवश्यक संशोधन कर देंगे ।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : मैं माननीय गृह कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित विदेशी व्यक्ति कानून (सशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं । कुछ देशों को जो छूट दी गयी है वह आज की स्थिति के अनुकूल ही है । पाकिस्तान और दक्षिण अफ़्रीका को छूट नहीं दी गयी । यह पग राष्ट्रीय हितों का ध्यान रख कर ही उठाया गया है । परन्तु मेरा विश्वास है कि इसमें कुछ माननीय तत्वों की उपेक्षा नहीं की जायेगी । क्योंकि मुझे पता है कि कई लोगों को इस मामले में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, विशेष कर महिलाओं को । कुछ ऐसे मामले थे जहां लोग पाकिस्तान गये, वहां पर मर गये अथवा वहां उन्होंने अपनी पत्नि को तलाक दे दिया । अब

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री मुहीउद्दीन]

उस पत्नि का वहां कोई सम्बन्धी नहीं था और यह स्वाभाविक है कि वह भारत वापस आना चाहेगी। परन्तु वर्तमान कानून के अनुसार वह भारत तक ही आ सकती है जब उस के मामले पर सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुये सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। सन्देह वाले मामले का मैं समर्थन नहीं करूंगा, परन्तु मुझे विश्वास है कि सही मामलों पर गृह कार्य मंत्री अवश्य ध्यान देंगे। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : गृह मंत्री ने विधेयक को पुरःस्थापित करते हुये इस विधेयक को विवाद हीन बताया है। परन्तु इस विधेयक द्वारा अन्य देशों के निवासियों और राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों में भेदभाव को स्थायी बना दिया गया है। परन्तु इस समय मैं केवल एक प्रश्न पर ज़ोर दूंगा और वह यह कि पाकिस्तान के विदेशियों से क्या व्यवहार किया जायेगा ?

देश के विभाजन से न केवल भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ वरन् परिवारों का बटवारा हुआ है और सम्पत्तियों का बटवारा हुआ। जिन की सम्पत्ति सीमा पार रह गई उनके लिये हम ने विशेष व्यवहार का उपबन्ध किया। पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य सभी राष्ट्रमंडलीय देशों को विमुक्त करने से उन लोगों को बहुत कठिनाई होगी जिन के सम्बन्धी अथवा जिनकी सम्पत्ति सीमा पार है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध ठीक नहीं और पाकिस्तान एक ऐसे गुट में है जिस से हमारी सुरक्षा को खतरा है, इसलिये हमारे पास कुछ विशेष अधिकार होने चाहियें जिस से उस देश के लोग इस देश में आकर खतरा पैदा न कर सकें। मेरे विचार से हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करके ऐसा हल निकालना चाहिये जिससे पाकिस्तानी और भारतीय नागरिकों के प्रति दोनों देशों द्वारा पारस्परिक आधार पर व्यवहार हो सके। उदाहरणतः यदि पाकिस्तान से लोग अपने सम्बन्धियों से मिलने आयें या बीमार सम्बन्धियों को देखने आयें और उन्हें विदेशी अधिनियम के अधीन कठिनाई में डाला जाये तो यह बहुत कठोर कार्यवाही होगी। ऐसा विशेष उपबन्ध किया जाना चाहिये। जिस से अनुचित कठिनाई भी न हो और देश की सुरक्षा को भी खतरा न हो। यह पारस्परिक आधार पर होगा और पाकिस्तान में हमारे राष्ट्रजनों के साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसा हम पाकिस्तानियों के साथ करेंगे।

मैं अब अत्यन्त विवादास्पद बात को लेता हूं जिस में सिद्धान्त का भी प्रश्न सन्निहित है। यहां इस सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है कि राष्ट्रमंडलीय देशों के राष्ट्रजनों को, कुछ विशेष रूप से उल्लिखित देशों को छोड़ कर, विदेशी नहीं समझा जायगा और उन से भिन्न देशों के राष्ट्रजनों को, अगर उनमें से किसी को छूट नहीं दी गई हो, विदेशी समझा जायगा। हमने बार बार इस सभा को और देश के लोगों को बताया है कि राष्ट्रमंडलीय देशों और अन्य देशों में भेद नहीं करना चाहिय। राष्ट्रमंडल के साथ सम्बन्ध रखने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ और राष्ट्रमंडल में रहने के लिये जो तर्क दिये गये हैं वे गलत प्रमाणित हुये हैं। हम क्यों ऐसे सम्बन्ध रखें जिन के कारण कुछ अन्य देशों से हमारा सम्बन्ध विच्छेद होता हो। यदि हम सुरक्षा के इस विशेष सम्बन्ध के लिये निर्धारिक कारणों में से एक समझें तो कुछ राष्ट्रमण्लीय देशों से भी हमारी सुरक्षा को खतरा है और कुछ अन्य देशों से भी।

हाल ही में समाचारपत्रों में एक समाचार आया है कि एक अंग्रेज़ लेडी माउंटबेटन की सिफारिश लेकर भारत आया था। प्रधान मंत्री ने भी उसकी सिफारिश की और वह नागा पहाड़ियों में वनस्पतिशास्त्र के अध्ययन के लिए गया परन्तु हमारे सैनिक प्राधिकारियों ने देखा कि वह इस की

†मूल अंग्रेजी में।

अपेक्षा कुछ और कर रहा है। वनस्पतिशास्त्र के विशेषज्ञ भेजे गये और उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति वनस्पतिशास्त्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता। इस से पता चलता है कि राष्ट्रमंडल में जिस देश से हमारा दृढ़ सम्बन्ध है उसी से हमें खतरा है।

राष्ट्रमंडल में सम्मिलित होने के कारणों का अब महत्व नहीं रहा क्योंकि हमारी विदेश नीति और राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध से भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। गोआ का उदाहरण लीजिये। भारत सरकार के गोआ सत्याग्रहियों के प्रति दृढ़ कार्यवाही, अंग्रेज़ दूत के मिलने के पश्चात् ही की।

यदि हमें सम्बन्ध रखने हैं तो रूस, चीन वीतनाम, बर्मा, लंका या पाकिस्तान या सभी अन्य देशों से समान आधार पर सम्बन्ध रखने चाहियें और अपने हितों के लिए मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को विकसित करना चाहिये। जिन सम्बन्धों में हमारा अधिक हित है उन्हें दृढ़ करना चाहिये और किसी से केवल इसलिए सम्बन्ध नहीं होने चाहियें कि वह कतिपय राष्ट्रों के समूह में से है।

प्रधान मंत्री ने एक और बात पर बल दिया है कि राष्ट्रमंडल के सम्बन्ध से युद्ध और शांति के मामलों पर प्रभाव पड़ता है। परन्तु इस सम्बन्ध के होते हुए हम मिस्र के आक्रमण को नहीं रोक सके, कीनिया के हत्याकांड को नहीं रोक सके, मलाया के युद्ध को बंद नहीं कर सके। इस सम्बन्ध के द्वारा न तो हम कुछ कर सकते हैं और न ही हमने कुछ किया है। वरन् दूसरी ओर राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध के कारण हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा ही पैदा हुआ है।

आर्थिक दृष्टि से भी हमें ध्यान रखना चाहिये कि यदि हम अपने देश में ब्रिटेन के आर्थिक हितों के सम्बन्ध में कार्यवाही करें तो संभवतः राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध के कारण उस में कठिनाई पैदा हो। कलकत्ता की ट्रामवे कम्पनी और कलकत्ता विद्युत संभरण निगम को हम राष्ट्रीयकृत कर सकते थे परन्तु ऐसा करने की बजाए हम ने उन्हें नया पट्टा दे दिया है। मेरा विचार है कि यदि राष्ट्रमंडल का सम्बन्ध न होता तो हम उन्हें २० वर्ष का पट्टा न देते।

इन राजनैतिक और आर्थिक विचारों के अतिरिक्त राष्ट्रीय सम्मान के आधार पर राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध के प्रति घृणा होती है।

हमें राष्ट्रमंडलीय देशों सहित सभी देशों के साथ इस आधार पर सम्बन्ध बढ़ाने चाहियें कि अमुक देश हमारे प्रति मैत्रीपूर्ण भाव रखता है। मैं नहीं समझता कि हम चीन के नागरिक के साथ एक प्रकार का और इंगलैंड के नागरिक के साथ दूसरी प्रकार का व्यवहार क्यों करें जब कि ब्रिटेन की अपेक्षा चीन के साथ हमारे सम्बन्ध अधिक अच्छे रहे हैं।

राष्ट्रीय भावना के दृष्टिकोण से राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध केवल पुरानी पराधीनता का ही स्वरूप है। हम इसे नहीं रखना चाहते।

अतएव हम राजनैतिक, आर्थिक, और राष्ट्रीय भावना के आधार पर राष्ट्रमंडलीय देशों को अपने मित्र देशों की अपेक्षा भिन्न संरक्षण देने के सिद्धान्त के सख्त विरुद्ध हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : यद्यपि यह विधेयक बहुत साधारण प्रतीत होता है परन्तु इसके कुछ खंडों में कुछ विशेष प्रवृतिसूचक उपबन्ध हैं, विशेषतः उन खंडों में जो हमारे लोगों के बारे में हैं जिनका पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। निसन्देह हमें अपने राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध काम करने वालों से बचना चाहिये।

पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पाकिस्तान और विशेषतः पश्चिमी बंगाल की सीमा पर रहने वाले लोगों को दो या तीन विभिन्न श्रेणियों के अधीन विभिन्न प्रकार के वीसाओं से पाकिस्तान आने

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

जाने की अनुमति दी गई है। पूर्वी बंगाल में रहने वाले हिन्दुओं को जिन की पश्चिमी बंगाल में सम्पत्ति है और पश्चिमी बंगाल में रहने वाले मुसलमानों को जिन की पूर्वी बंगाल में सम्पत्ति है, निरन्तर पाकिस्तान आना जाना पड़ता है। इसलिए मैं अनुभव करती हूं कि यदि हम ने विदेशी अधिनियम १९४६ की धारा २(३) के उपबन्धों को लिया तो इस से निर्दोष व्यक्तियों को बहुत कठिनाइयां होंगी। ऐसे मामले होते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी स्थानीय राजनीति से प्रभावित होकर लोगों को कठिनाइयों में डालते हैं।

धारा २(३) के उपबंधों के अधीन एक विदेशी पर विशेष स्थान पर ही रहने, तथा गति विधि सम्बधी और अपनी पहचान का प्रमाण देने, और चित्र तथा उंगली के चिह्न देने के प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। इस के अतिरिक्त अन्य व्यापक प्रतिबंध विहित किये जा सकते हैं। मैं अनुभव करती हूं कि इन व्यापक उपबंधों से उन सरल कृषकों और श्रमिकों को हानि पहुंच सकती है जो सीमा पार की अपनी सम्पत्ति पर निर्भर करते हैं।

अतः कोई ऐसा खंड रखना चाहिये जिस से इन लोगों को अन्य विदेशियों की श्रेणी में न रखा जाए। श्री अ० क० गोपालन ने मुझे मालाबार के बीड़ी श्रमिकों के बारे में बताया है कि वे पाकिस्तान से अपने रोगी सम्बन्धियों को मिलने आते हैं परन्तु क्योंकि वे विदेशियों की संदेहजनक श्रेणी के अधीन आते हैं अतः उन्हें १५ दिन पश्चात् वापस जाना पड़ता है।

अतः ऐसे मामलों और कलकत्ता पत्तन पर काम करने वाले नाविकों के मामले की ओर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। ये नाविक चिटगांव और नोवाखाली के हैं और उन्होंने कभी हमारे हितों के विरुद्ध कार्य नहीं किया।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे इन लोगों की तीन चार श्रेणियों के लिए विशेष उपबंध करें।

जब हम इस संशोधन द्वारा एक व्यापक उपबंध कर रहे हैं कि किसी विदेशी व्यक्ति अथवा जाति को अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त किया जा सकता है तो हम उन लोगों के लिए जिन के सीमा पार हित हैं आना जाना सुगम बना सकते हैं और उन्हें विदेशी अधिनियम की कठिनाइयों से विमुक्त कर सकते हैं। माननीय मंत्री कृपया इन बातों को स्पष्ट करें।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : श्रीमान्, मने विरोधी पक्ष के अपने मित्रों को सुना। जहां तक भारत के राष्ट्रमण्डल से सम्पर्क का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि वह इस छोटे से विधेयक से तय नहीं किया जा सकता है। उससे बड़े मामले उत्पन्न हो जायेंगे। मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि ऐसा समय कभी नहीं आयेगा जब हमें उस समस्या पर विचार करना पड़े। संभव है परिस्थितियों के अनुसार हमें इस पर पुनः विचार करने तथा इसकी पुनः जांच करने की आवश्यकता हो। परन्तु इस संसद् के अन्तकाल में इस विधेयक पर विचार करते समय हम ऐसे मामलों पर निर्णय नहीं कर सकते हैं।

राष्ट्रमण्डल, सर्वप्रभुत्वसंपन्न राज्यों की संस्था है जिसमें राज्य अपनी इच्छा से संगठित हैं। कोई भी किसी सन्धि से बाध्य नहीं है। कोई भी सदस्य जब चाहे तब राष्ट्रमण्डल से अलग हो सकता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है तथा हम किसी भी समय जब ठीक समझें इसके बारे में निर्णय कर सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से इस प्रश्न पर कुछ कहना अथवा इसके विरुद्ध कुछ तर्क प्रस्तुत करना, मेरे लिए आवश्यक नहीं है। देश में इस प्रकार की भावना फैली हुई है।

†मूल अंग्रेजी में।

परन्तु राष्ट्रमंडल संस्था ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में हमारे विचारों में कोई बाधा नहीं पहुंचाई है । हमने विश्व शांति के लिए अपने राष्ट्र के हितों को देखते हुए तथा राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों से सम्बन्ध न बिगाड़ते हुए अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखी है ।

हमने इसका अन्तिम उदाहरण स्वेज़ के प्रश्न पर अपनी विचारधारा से प्रस्तुत किया है । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् अथवा उसके बाहर हमने अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण ही रखा । परन्तु म, इस संस्था की सदस्यता से होने वाले लाभ तथा हानि के आधार पर कभी इस मामले पर चर्चा की संभावना को ही हटा देना नहीं चाहता हूं । जब उस प्रश्न को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तब इसके सभी लाभ तथा हानियों पर पूर्णतया विचार किया जायेगा । हमें इस प्रश्न के लाभ तथा हानि और इसके सभी पहलुओं पर विचार करना होगा । परन्तु इस समय हमें बड़े ही छोटे से मामले पर विचार करना है । हमें इन राष्ट्रमण्डलीय देशों से पारस्परिकता के विशेषाधिकार तथा सुविधायें प्राप्त हैं, जिनको हमने इस अधिनियम की व्यापकता से अलग रखा है । हमारे यहां इन देशों के नागरिकों के विशेषाधिकारों और सुविधाओं को हम तब ही खत्म कर सकते हैं जब हम भी इसी प्रकार की सुविधाओं को और विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार हों । मैं नहीं जानता कि इससे हमें कुछ लाभ होगा अथवा नहीं । ब्रिटेन में हमारे राष्ट्रजन पर्याप्त संख्या में हैं तथा मुझे विश्वास नहीं है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था चाहेंगे । यदि हम राष्ट्रमण्डल से अपना सम्पर्क समाप्त भी कर दें तब भी हमें ऐसे देशों के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी जिनमें हमारे राष्ट्रजन कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और जिनको कुछ ऐसी सुविधायें तथा अधिकार प्राप्त हैं जो उन देशों में रहने वाले अन्य विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं । ऐसा कोई भी काम करना बुद्धिमानी नहीं होगी जिससे विदेशों में रहने वाले हमारे राष्ट्रजनों को कोई असुविधा हो तथा हमें कोई लाभ भी न हो । इसलिए इस समय इस प्रकार की व्यवस्था करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प हमारे सम्मुख नहीं है । जहां भी कहीं हमारे राष्ट्रजनों के साथ दुर्व्यवहार होगा वहां हम आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं । पाकिस्तान तथा दक्षिण अफ्रीका को इसमें न रख कर यह बता दिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं । परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में, पारस्परिकता के आधार पर, हम ने विदेशों में कुछ विशेषाधिकारों को लेना स्वीकार कर लिया है और यह उचित तथा न्यायपूर्ण है और यह हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल भी नहीं है कि हम उन देशों के नागरिकों के प्रति अन्य प्रकार का व्यवहार करें ।

पाकिस्तान के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने १९५२ में इस प्रकार की विधि बनाई थी । परन्तु हमने इस प्रकार के प्रश्नों पर सामान्य विचारधारा ही रखी है । हमने अपने देश में उदारता से काम लिया है । कुछ व्यक्तियों ने मानवता की दुहाई दी । मैं यह कह सकता हूं कि हम किसी भी प्रकार की विधि क्यों न बना दें परन्तु हमारा व्यवहार मानवता से गिरा हुआ नहीं होगा । हम अपने देश को रूढ़ियों का पालन करते हैं और हम जान बूझ कर कभी भी क्रूर अन्यायी नहीं रहे हैं । हमारी यही नीति रहेगी ।

मेरा विचार है कि इस विधि के बारे में कुछ ग़लतफहमी है । हमने विदेशी अधिनियम में एक उपबन्ध रखा है जिससे हम किसी भी विदेशी को, उस अधिनियम की क्रियान्विति से छूट दे सकते हैं । यह हरएक पर लागू होता है चाहे वह पाकिस्तानी हो अथवा और किसी देश का हो । इसलिए इस संशोधन से अधिनियम के उस उपबन्ध पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने भारत से पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान से भारत के आने जाने पर नियंत्रण नहीं लगाये हैं । प्रथमतः कोई नियंत्रण नहीं था । परन्तु पश्चिमी

[पंडित गो० व० पंत]

पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण लगाया गया । हमने ऐसा पाकिस्तान की इच्छानुसार ही किया था । बाद में १९५२ में पूर्वी पाकिस्तान में पारपत्र तथा वीसा के नियंत्रण लगाये गये । यह भी पाकिस्तान के कहने पर किया गया । इस प्रकार हम ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की थी जिसको आप 'आक्रमक' कह सकते हैं । परन्तु हम ने सदा इन सभी मामलों को उदारतापूर्वक निबटाने का प्रयत्न किया ।

इस समय इस संशोधन से हम पाकिस्तान के मामले में हम कोई नई बात लागू करना नहीं चाहते हैं । पारपत्र तथा वीसा पद्धति अब भी लागू है । पारपत्र लेने पड़ते हैं तथा भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए वीसा आवश्यक है । उन लोगों को, जिनके बारे में कुछ वक्ताओं ने ज़िक्र किया, दीर्घकालीन वीसा, अनुमति पत्र आदि दिए गए हैं । ऐसे भी कुछ पाकिस्तानी नागरिक हैं जो सीमा पर हमारी ओर की भूमि पर खेती करते हैं । उनको इधर आने दिया जाता है तथा वह अपने उत्पाद ले जाते हैं । कुछ अन्य मामलों के लिए अनुमति पत्र दिये गए जिससे लोग आ जा सकें । इस प्रकार हम ने इस बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है ।

उसी प्रकार कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर नियुक्त मल्लाहों तथा अन्य व्यक्तियों के बारे में कहा गया । हमने उन्हें निकाला नहीं है । हम ने उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा है । यद्यपि वह पाकिस्तानी नागरिक हैं परन्तु वह वहीं हैं और कुछ आवश्यक सेवायें उनके हाथ में हैं । इससे पता लगता है कि हम कितने सहनशील हैं तथा हमने इन मामलों को किस प्रकार निबटाया है । मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अब भी इस सम्बन्ध में कुछ संदेह है कि हम अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे । मेरे विचार से यह उचित नहीं है । विरोधी दल के सदस्य यदि हमारी सराहना न करें तो कम से कम सच्ची बात तो कहें । माना कि उन्हें कुछ बातों से सहानुभूति है और हम उनके विचारों को समझते भी हैं । परन्तु उन्हें तथ्यों की ओर से आंख नहीं मूंद लेनी चाहिए ।

यह एक सीधी सादी विधि है । जैसा कि मैंने अभी बताया, हमने, इन दोनों देशों के बीच सम्पर्क बनाये रखने के लिए पारपत्र और वीसा लागू कर रखे हैं । आजकल एक व्यक्ति पारपत्र तथा वीसा लेकर ही आ सकता है चाहे एक वर्ष के लिए अथवा छः महीने के लिए अथवा तीन महीने के लिए । यदि वह उसमें अंकित अवधि से अधिक दिन रुकेगा तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं । उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग होंगे जो वर्तमान व्यवस्था में अधिक दिन नहीं रुक सकते हैं तथा अवधि समाप्त होने पर अथवा और किसी शर्त के पूरा न करने पर अथवा उन शर्तों का उल्लंघन करने पर भी जिनके विरुद्ध हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । इस विधेयक से हमको इन मामलों पर कठोर क़दम उठाने की शक्ति मिल जायेगी । मैं नहीं जानता कि इस प्रकार के विधेयक पर किसी आपत्ति की संभावना है ।

बर्मा तथा नेपाल के बारे में भी कुछ कहा गया । नेपाल तथा भारत के बीच कोई पारपत्र अथवा वीसा पद्धति लागू नहीं है । मेरे विचार से नेपाल के नागरिक जब भी चाहें भारत आ सकते हैं । यहां उनको पंजीबद्ध नहीं किया जाता है । उनके आने जाने पर कभी भी कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है । मुझे आश्चर्य है कि मेरे मित्र और क्या चाहते हैं । यह तो विदेशी अधिनियम में छूट की व्यवस्था करने से कहीं अधिक है ।

बर्मा के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे नागरिक बर्मा में इस समय कितनी कठिनाइयां उठा रहे हैं । बर्मा सरकार भी पारपत्र तथा वीसा पद्धति को हटाना नहीं चाहती है । कार्यवाही तभी की जा सकती है जब दो देश विभिन्न पद्धतियों को अपनाना चाहते हों । जब कभी ऐसा अवसर आयेगा हम बर्मा में अपने मित्रों की सहायता करने को तैयार रहेंगे । हम उस देश को केवल पड़ौसी ही नहीं समझते बल्कि उस देश के साथ हमारे हजारों वर्षों के पुराने सम्बन्ध हैं । हमें केवल उनसे मैत्री ही नहीं करनी है बल्कि हमें उन्हें एक ही परिवार का अंग समझना है ।

इस कारण हमें ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी है जो बर्मा की राष्ट्रीय गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले अथवा उससे किसी प्रकार बर्मा के नागरिकों को असुविधा हो । किन्तु यदि बर्मा सरकार कोई अपवाद रखेगी तो उससे उसके लिये उलझनें पैदा होंगी । यदि माननीय सदस्यों को विश्वास है कि इस प्रकार की पारस्परिकता को पसंद किया जायेगा तो हम इस मामले पर विचार करने के लिये तैयार हैं क्योंकि जहां तक भारत से सम्बन्ध रखने वाले बर्मा के नागरिकों का सम्बन्ध है उनकी हालत वैसी नहीं है जैसी कि हम चाहते हैं । मैं बर्मा सरकार को इसके लिये दोष नहीं देता । हम प्रत्येक से मैत्री रखना चाहते हैं और जहां तक बर्मा का सम्बन्ध है उनसे तो हम एक ही हैं—केवल एक या दो मामलों में ही हम सहमत नहीं हैं बल्कि हमारी विचारधाराएं तथा हमारी परम्पराएं तथा हमारे जीवन के बुनियादी सिद्धान्त भी एक समान हैं । हम प्रत्येक देश से दोस्ती बनाने के इच्छुक हैं । यह साधारण विधेयक है और मैं यह नहीं समझ सकता कि यहां जो दलीलें दी गई हैं उन से विधेयक पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है ।

एक व्यक्तिगत मामले के बारे में भी कहा गया है—उसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है—और मैं नहीं समझता कि वह इस प्रकरण से कैसे संगत है । जो वक्तव्य दिया गया है मैं उसे स्वीकार नहीं करता । मुझे इस विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं है । जिस तरीके से दोषारोप लगाये गये हैं वह तरीका भी अच्छा नहीं है । जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है मैंने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी व्यक्ति अधिनियम, १६४६ तथा विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १६३६, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३ (धारा ३ का संशोधन)

किया गया संशोधन

पृष्ठ १, खंड ३ के स्थान पर यह रखा जाये:—

"धारा ३ का संशोधन ३. विदेशी व्यक्ति अधिनियम की धारा ३ में; —

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

(क) उपधारा २ में कोष्ठक, वर्ण तथा शब्द "(g) shall be arrested and detained or confined;"

[(छ) गिरफ्तार तथा विरुद्ध किये जायेंगे या हिरासत में रखे जायेंगें;] हटा दिये जायें ; ;

(ख) उपधारा ३ में इन शब्दों, कोष्ठकों तथा वर्णों अर्थात् "clause (f) or clause (g)" ["खंड (च) अथवा खंड (छ)] के स्थान पर or clause (f) [अथवा "खंड (च)] रखा जाये ।

[पंडित गो० व० पन्त]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है:

"कि खंड ३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में विधयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४ (नयी धारा ३क का रखना)

किया गया संशोधन;

पृष्ठ १, पंक्ति १३ में

"(I) " ["(१)"] हटा दिया जाये ।

[पंडित गो० व० पन्त]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५ से ८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

नया खंड ९

†**पंडित गो० व० पन्त :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ २, पंक्ति २९ में, अन्त में यह जोड़ा जाये :–

"Repeal and Saving

9. (1) The Foreigners Laws (Amendment) Ordinance, 1957 is hereby repealed. I of 1957.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in the exercise of any powers conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the date on which such thing was done or action was taken."

"निरसन तथा व्यावृत्ति ९(१) विदेशी व्यक्ति [(संशोधन) अध्यादेश १९५७] एतत् द्वारा निरसित किया जाता है । १९५७ का १.

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन अथवा उसके द्वारा प्राप्त किन्हीं शक्तियों के अनुसरण में की गई कार्यवाही को इस प्रकार इस अधिनियम के अधीन अथवा इससे प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में की गई कार्यवाही समझा जायेगा जैसे कि यह अधिनियम उस तिथि से लागू हो जब कि ऐसी बात या कार्यवाही की गई थी।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपर्युक्त संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि नया खंड ९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १ (संक्षिप्त नाम)

किया गया संशोधन :

पृष्ठ १,—

खंड १ के स्थान पर यह रखा जाये—

"Short title and Commencement. 1. (1) This Act may be called the Foreigners Laws (Amendment) Act, 1957.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 19th day of January, 1957."

"संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ १. (१) इस अधिनियम को विदेशी व्यक्ति विधियां (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहा जाये।

(२) इसे १९ जनवरी, १९५७ से लागू समझा जायेगा।

[पंडित गो० व० पन्त]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन :

पृष्ठ १, पंक्ति १,—

"Seventh" (सातवें) के स्थान पर

"Eighth" (आठवें) किया गया

[पंडित गो० व० पन्त]

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठक स्थगित होने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं ।

सदस्यों को विदित है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर पृथक् वाद-विवाद होगा इसलिये इस चर्चा में वे इन मामलों को न उठायें । इस प्रस्ताव पर इस समय कोई संशोधन भी न दिये जायें ।

आय-व्ययक पर भी थोड़े दिनों में चर्चा होगी इस कारण आर्थिक स्थिति संबधी मामले उसी समय उठाये जायें इस अवसर पर नहीं ।

इसलिये राष्ट्रपति के अभिभाषण में कही गई बातों तक ही चर्चा सीमित रखी जाये ।

मैं समझता हूं सभा इन सुझावों से सहमत है ।

---

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा स्थगित होगी और ५ बजे आयव्ययक के लिये पुनः समवेत होगी ।

इसके बाद लोक-सभा पांच बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

लोक-सभा पांच बजे पुनः समवत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सामान्य आयव्ययक, १९५७-५८

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्त मंत्री ।

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार का १९५७-५८ का बजट प्रस्तुत करता हूं । १९५२-५३ में मेरे पूर्ववर्ती न इन्हीं परिस्थितियों में अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया था । इसका मुख्य उद्देश्य संसद् के सम्मुख केन्द्रीय सरकार का चालू वर्ष का वित्त विवरण प्रस्तुत करना और जब तक नयी संसद् बजट पर पुनः विचार न करे तब तक के लिये सरकार की व्यय-पूर्ति के निमित्त सदन से लेखानुदान प्राप्त करना ह ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बजट सम्बन्धी श्वेतपत्र में, जो पृथक रूप से प्रचारित किया जा रहा है, इस वर्ष की मुख्य आर्थिक घटनाओं की समीक्षा करने का प्रयत्न किया गया है। इसलिये सारी बातों को दोहराना मैं आवश्यक नहीं समझता।

आन्तरिक और बाह्य साधनों दोनों की दृष्टि स आलोच्य वर्ष में अर्थ-व्यवस्था पर कुछ दबाव रहा है। मुख्यत: विकास-कार्य की गति में तीव्रता आजाने से देश में वस्तुओं के मूल्यों और शोधन-सन्तुलन पर दबाव रहा है। १९५५–५६ में कृषि-उत्पादन में कमी और स्वेज नहर बन्द हो जाने जैसे बाहरी कारणों से अर्थ-व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। स्थिति को काबू में रखने के लिये हमने पिछले महीनों में जो कई तरह के उपाय किये उनका श्वेतपत्र में उल्लेख किया गया है और मुझे पूरी आशा है कि ये यथासमय प्रभावकारी सिद्ध होंगे।

आन्तरिक मूल्यों की सम्भावना बहुत कुछ कृषि-उत्पादन के स्तर पर निर्भर होगी और सरकार इस बात को भली-भांति समझती है कि इस क्षेत्र में और भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता है। मूल्यों की स्थिरता के लिये भी यह आवश्यक है कि ऋण देने पर नियंत्रण रखा जाय और बजट सम्बन्धी ऐसी नीति निर्धारित की जाय, जिससे जनसाधारण की क्रयशक्ति नियंत्रित हो जाय। हाल ही में हमने छंटाई (सलेक्टिव) के आधार पर नियंत्रण लगाने के लिये कार्रवाई की है पर साथ ही इस बात की भी सावधानी रखी है कि गैरसरकारी क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम के लिये ऋण में अनुचित रूप से कमी न हो जाय। बुनियादी तौर पर हमें निवेश में कमी की नहीं, बल्कि बचत में वृद्धि की आवश्यकता है। जहां तक बजट सम्बन्धी नीति का प्रश्न है, मैं स्वीकार करता हूं कि जितने बड़े घाटे का मैं अभी जिक्र करूंगा वह मुझे पसन्द नहीं है। इस प्रसंग में प्रतिरक्षा (डिफेंस) विषयक आवश्यकताओं के लिये धन की बढ़ती हुई मांगों को यूं ही टाला नहीं जा सकता। जैसा कि आप देखेंगे इस शीर्षक के अन्तर्गत वृद्धि होने से अगले वर्ष राजस्व खाते के घाटे में बहुत अधिक वृद्धि होगी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, बजट का सम्पूर्ण घाटा, अर्थात् ३६५ करोड़ रुपया, मेरे विचार से, कुछ अधिक है। निश्चय ही इस समय अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं है, जिससे बजट सम्बन्धी घाटे को आत्मसंतोष की भावना से देखा जा सकता है। प्रतिरक्षा की मद प्राय: ऐसी नहीं है, जिस पर हम अपने देश की अथवा विदेशी मुद्रा के रूप में अधिक खर्च करना चाहेंगे। किन्तु यदि परिस्थितिवश ऐसी वृद्धि अनिवार्य हो जाय, तो आवश्यक त्याग करना ही पड़ेगा।

किन्तु इस समय सब से विकट समस्या विदेशी मुद्रा की है। दूसरी पंच वर्षीय आयोजना में उद्योगधंधों, खानों और परिवहन के विकास पर जोर दिया गया है और इनके कारण बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी और अब ऐसा जान पड़ता है कि आयोजना की अवधि में, शोधन-सन्तुलन में मूल अनुमान की अपेक्षा अधिक कमी रहेगी। इसका कारण यह है कि विदेशों में मूल्य बढ़े हैं और आयोजना में सम्मिलित कुछ प्रायोजनाओं में विस्तार हुआ है। सच तो यह है कि हमारे विदेशी मुद्रा साधनों से अभी ही मूल, अनुमान की अपेक्षा अधिक रकम निकाली जा चुकी है; अप्रैल, १९५६ से यह लगभग २६० करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है। शोधन-सन्तुलन पर इस दबाव के कारण आयात नीति को, जिसकी घोषणा जनवरी में की गयी थी, कठोर बनाने की आवश्यकता हुई है।

जैसा कि मुझे इस समय दिखायी दे रहा है आयोजना की अवधि में विदेशी मुद्रा की स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है। आयोजना की अवधि में शोधन-संतुलन में कुल जितनी कमी की कल्पना की

[श्री वि० त० कृष्णमाचारी]

गयी थी उसकी अपेक्षा अब लगभग ४०० करोड़ रुपये की अधिक कमी रहेगी। हमारी विभिन्न प्रायोजनाओं के लिये विदेशों से जितना धन मिल सकता है उसे और प्रथम आयोजना की अवधि की प्राधिकृत रकम के बाकी हिस्से को हिसाब में लेते हुए हमारे पास अपनी आवश्यकताओं के लिए ४५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा है। इस रकम को मिलाकर और यह मान कर कि अमरीका और कोलम्बो आयोजना के देशों से न्यूनाधिक उतनी ही रकम मिलती रहेगी जितनी इस समय मिल रही है और यह समझते हुये कि सामान्य मात्रा में गैर सरकारी विदेशी पूंजी भी लगायी जायगी, हम यह अनुमान कर सकते हैं कि हमें कुल आवश्यकता का लगभग ५० प्रतिशत मिल जायगा, इस समय हम अपनी अनेक विकास प्रायोजनाओं की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति के लिये पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से, ऋण लेने के सम्बन्ध में, बात चीत कर रहे हैं। विभिन्न देशों से हम जो पूंजीगत सामान मंगाते हैं उसका मूल्य कुछ समय बाद चुकाने की सम्भावनाओं का भी हम पता लगा रहे हैं। सब मिलाकर, आयोजना के लिये विदेशी मुद्रा जुटा सकने की सम्भावनाएं पूर्णतः निराशाजनक नहीं हैं। निस्सन्देह, मेरे इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि यह काम सरल है।

जब तक नयी आयात नीति का प्रभाव नहीं पड़ता तब तक के लिये हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से कुल मिलाकर २० करोड़ डालर का ऋण ले लिया है। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समस्या यह नहीं है कि आयात में कटौती कर के हमारे विदेशी मुद्रा खाते में बचत दिखलायी जाय। यह काम दोहरा है। पहले तो यह कि आयोजना परिव्यय सावधानी के साथ इस ढंग से व्यवस्थित किया जाय कि शोधन-सन्तुलन पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। इसके लिये आयोजना के सामान्य ढांचे में रहते हुये प्राथमिकताओं की कठोर प्रणाली का अवलम्बन करने की आवश्यकता है। दूसरे यह कि दूसरी आयोजना के लिये जो वस्तुएं अब भी आवश्यक हैं, उन्हें भारी मात्रा में विदेशों से मंगाने के लिये हमें धन का जुगाड़ करने की आवश्यकता पड़ेगी। पहली आवश्यक बात यह है कि निर्यात में वृद्धि की जाय जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में वृद्धि हो और आयात में यथासम्भव कमी की जाय। त्याग के बिना इनमें से कोई भी सम्भव नहीं, किन्तु आयोजित विकास की दृष्टि से यह त्याग करना ही पड़ेगा।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि दूसरी पंच वर्षीय आयोजना के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, किन्तु मेरे विचार से इस समय आवश्यकता इस बात की है कि इस दबाव को सर्वोत्तम ढंग से संभालने के विषय में विचार किया जाये न कि आयोजना सम्बन्धी आधारभूत अनुमानों अथवा कल्पनाओं के सम्बन्ध में आपत्ति उठायी जाय। विकास का मार्ग सदा ही सुगम नहीं होता। हाल के महीनों में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे इस सर्वविदित तथ्य की पुष्टि होती है कि विकास के पंचवर्षीय कार्यक्रम में निहित सन्तुलन के सम्बन्ध में, अनुभव के आधार पर, लगातार छानबीन की जाय। निवेश और खपत, उपलब्ध विदेशी साधनों और तत्संबंधी मांगों, तथा वस्तुओं और सेवाओं की अन्तिम रूप से प्राप्ति और उनके उत्पादन के लिये आवश्यक सामग्री के मध्यवर्त्ती सन्तुलन का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है और अप्रत्याशित बातें भी पैदा होती हैं, जो इस सन्तुलन को समय-समय पर बिगाड़ देती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रख कर ही दूसरी आयोजना की रिपोर्ट में, आवश्यक समायोजन के लिये वार्षिक आयोजनाओं की व्यवस्था और आयोजना के लचीलेपन पर काफी जोर दिया गया है।

तात्कालिक आवश्यकता यह है कि उन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय जिनसे निर्यात सम्बन्धी आमदनी बढ़ती है और निकट भविष्य में ही विदेशी-मुद्रा साधनों को बहुत अधिक खर्च किये बिना आयात सम्बन्धी आवश्यकताएं घटती हैं। कृषि-उत्पादन में जल्दी ही वृद्धि करने में

सहायता देने वाली योजनाओं को भी उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये; जो योजनाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं और जिन पर काफी खर्च किया जा चुका है, उन पर उपलब्ध साधनों का काफी अंश खर्च किया जाना चाहिये। सरकार आयोजना सम्बन्धी व्यय-क्रम को निर्धारित करने के लिये सर्वथा इसी प्रकार की प्राथमिकताओं के अनुसार काम करना चाहती है; जो काम सब से पहले करने के हैं उन्हें प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। साथ ही हमें यथासम्भव इस बात की भी पक्की व्यवस्था करनी है कि जिन विकास कार्यक्रमों से देश की उत्पादन-शक्ति में सबसे अधिक वृद्धि होने की सम्भावना हो और जिनसे शोधन-सन्तुलन की स्थिति में आगे चल कर मजबूती आती हो, उनमें अनुचित रूप से बाधा न पड़नी चाहिए। सीमित साधनों को देखते हुए प्राथमिकताओं की समीक्षा और समायोजन तथा उनका कठोरता से परिपालन यद्यपि प्रयोजनीय है फिर भी इस बात की पूरी सावधानी रखी जा रही है कि पिछले तीन-चार वर्षों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था में जो प्रगति हुई है वह जारी रहे। हमारे बजट तैयार करने में—जो आवश्यक रूप से विकास की दृष्टि से तैयार किये जाते हैं—और नीति निर्धारित करने में चलने वाले कार्यों के अवश्यकरणीय पक्ष को बराबर ध्यान में रखा जाता है।

अब मैं १९५६-५७ के संशोधित अनुमानों और १९५७-५८ के बजट अनुमानों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

चालू वर्ष के बजट में, संसद् द्वारा स्वीकृत वित्त विधेयक के संशोधनों को ध्यान में रखते हुए १८.०४ करोड़ रुपये की कमी का अनुमान किया गया था। अब मेरा अनुमान है कि वर्ष के अन्त में ३७.९४ करोड़ रुपये का अधिशेष रहेगा। इस सुधार का अधिकांश कारण सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के संग्रह में वृद्धि है; केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क में वृद्धि का मुख्य कारण इस वर्ष लगाये गये अतिरिक्त शुल्क की प्राप्ति है। खर्च खाते में भी कुछ बचत हुई है। सम्पूर्ण रूप से, अब ५७१.४९ करोड़ रुपये के राजस्व, अर्थात् बजट अनुमानों से ४४.१० करोड़ रुपया अधिक, और ५३३.५५ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है, जबकि बजट में व्यय की रकम ५४५.४३ करोड़ रुपये रखी गयी थी।

राजस्व और पूंजी दोनों के बजटों को मिलाकर इस वर्ष २१६ करोड़ रुपये के सम्पूर्ण घाटे का अनुमान है, जबकि मूल बजट में ३५६ करोड़ रुपये का अनुमान था। यह राजस्व खाते में सुधार होने का, जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, तथा राज्य सरकारों और दूसरों को ऋण और अग्रिम देने के लिये की गयी ३८६ करोड़ रुपये की व्यवस्था में लगभग ६४ करोड़ रुपये की बचत का परिणाम है।

मेरा अनुमान है कि १९५७–५८ में वर्तमान कर-व्यवस्था के आधार पर ६३६.२२ करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति होगी और ६६३.०९ करोड़ रुपये का व्यय होगा जिससे राजस्व खाते में २६.८७ करोड़ रुपये की कमी रह जायगी। इन रकमों में कुल ३८ करोड़ रुपये की कई स्वतः सन्तुलित मदें शामिल हैं, जो दोनों तरफ दिखलायी गयी हैं और इनसे सम्पूर्ण राजस्व बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व में २६.७३ करोड़ रुपये की और व्यय में ९१.५४ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

अगले वर्ष राजस्व में २६.७३ करोड़ रुपये की जो वृद्धि दिखलायी गयी है उसमें ८ करोड़ रुपये पूंजी लाभ कर और कम्पनियों पर लगाये गये अतिरिक्त अधिकर की अनुमति प्राप्तियों के हैं, जो १ अप्रैल, १९५७ से प्रभावी होंगे; और १२.४ करोड़ रुपये सूती कपड़े की शुल्क-वृद्धि तथा रेयन, कृत्रिम रेशों और धागे और मोटरकारों पर इस वर्ष लगाये गये नये शुल्कों से पूरे वर्ष में होने वाली प्राप्ति के हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं के निर्धारित अंशों (कोटा) में कटौती के कारण, जो विदेशी

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मुद्रा को सुरक्षित रखने के लिये की गयी है, सीमाशुल्कों से होने वाली प्राप्ति में ९ करोड़ रुपये की कमी होगी। किन्तु इसके मुकाबले रिजर्व बैंक के अधिलाभ में १० करोड़ की वृद्धि का अनुमान है।

अनुमान है कि आगामी वर्ष स्वत: सन्तुलित मदों को छोड़ कर ६२५.०९ करोड़ रुपये का व्यय होगा, जिसमें से २५२.७१ करोड़ रुपया प्रतिरक्षा (डिफेंस) सेवाओं पर और ३७२.३८ करोड़ रुपया असैनिक (सिविल) कार्यों पर खर्च होगा। प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यय में ४९.७६ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखलायी गयी है। अधिकांश वृद्धि का कारण स्थल सेना और वायुसेना के लिये आवश्यक नयी सामग्री की खरीद है। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में आगामी वर्ष असैनिक व्यय में ४१.७८ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जिसका मुख्य कारण राष्ट्रनिर्माणकारी विकास और समाज सेवाएं हैं। माननीय सदस्य मुख्य मदों को श्वेतपत्र में देख सकते हैं और अलग अलग मदों का पूरा ब्योरा व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है, जो बजट पत्रों के साथ प्रचारित किये गये हैं इसलिये उनको यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

आगामी वर्ष पूंजी-परिव्यय और राज्य सरकारों तथा दूसरों को ऋण देने के लिये ७७२.२१ करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जबकि चालू वर्ष का संशोधित अनुमान ६३६.१५ करोड़ रुपये है। यह वृद्धि तीन इस्पात संयंत्रों और रेलों के लिये अपेक्षाकृत अधिक धन की व्यवस्था किये जाने के कारण है।

आगामी वर्ष के अनुमानों में मैंने १०० करोड़ रुपये बाजार ऋण के, ८० करोड़ रुपये छोटी बचतों के; १३५ करोड़ रुपये विदेशी सहायता के और ११९ करोड़ रुपये अन्य विविध ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षक के अन्तर्गत होने वाले लेन-देन के जमा किये गये हैं। इन जमा रकमों को हिसाब में लेते हुए भी अगले वर्ष के सम्पूर्ण बजट में कुल मिलाकर ३६५ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि इतने बड़े घाटे को मैं पसन्द नहीं करता। उद्देश्य यह होना चाहिये कि राजकोष में धन का आगम बढ़ा कर इसे यथासम्भव कम किया जाय। इसलिए अन्त में मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूं कि तात्कालिक आवश्यकताओं और इस तथ्य को देखते हुए कि आयोजना-परिव्यय को वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ाना पड़ेगा, राजस्व को बराबर बढ़ाते रहने की आवश्यकता होगी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये केन्द्र और राज्यों को यथाशक्ति प्रयत्न करना पड़ेगा।

वित्त विधेयक, १९५७*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये आय-कर और अधिकर की, समवायों पर लगाये गये उस अधिकर को छोड़कर जिसके लिये वित्त (संख्या ३) अधिनियम, १९५६ की धारा ८ में उपबन्ध किया गया है, वर्तमान दरों और वर्तमान अतिरिक्त सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क को जारी रखने और प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य समझौते‡ के अधीन दिये गये कुछ वचन-दानों को जारी रखने तथा उपरोक्त वर्ष के लिये नमक पर लगाये गये शुल्क को हटाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*भारत के असाधारण गजट-भाग २ उपभाग २ तारीख १९-३-५७ में प्रकाशित।

†मूल अंग्रेजी में।

‡General Agreement on Tariffs and Trade.

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये आयकर और अधिकर की, समवायों पर लगाये गये उस अधिकर को छोड़ कर जिसके लिये वित्त (संख्या ३) अधिनियम, १९५६ की धारा ८ में उपबन्ध किया गया है, वर्तमान दरों और वर्तमान अतिरिक्त सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क को जा ी रखने और प्रशुल्क त ा व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के अधीन दिये गये कुछ वचन-दानों को जारी रखने तथा उप ोक्त वर्ष के लिये नमक पर लगाये गये शुल्क को हटाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

नियम समिति

आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं प्रक्रिया नियमों के नियम ३०६ (१) के अधीन नियम समिति के आठवें प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तालिसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का अड़तालिसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोकसभा बधवार, २० माच, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . . . पृष्ठ १

अध्यक्ष ने श्री पी० एस० कुमारस्वामी राजा के, जो पुरानी केन्द्रीय विधान-सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया। तत्पश्चात् सम्मान प्रकट करने के लिये सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

पटल पर रखे गये पत्र ७–२०

निम्नलिखित पत्र पटल पर रखे गये :—

(१) विदेशी व्यक्ति अधिनियम, १९४६ की धारा ३क की उप-धारा (२) के अधीन १९ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७० में प्रकाशित विदेशी व्यक्ति (विमुक्ति) आदेश, १९५७ की एक प्रति।

(२) भारत सरकार और बर्मा संघ की सरकार के बीच हुए वित्तीय समझौते की एक प्रति।

(३) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अधीन लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना और निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(क) १६ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७१९।

(दो) १४ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३०६८।

(४) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अधीन लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध करना और निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली ४ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४१२ की एक प्रति।

(५) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अधीन लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली १० जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४० की एक प्रति।

(६) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अधीन विमान निगम नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली १९ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या ७—सीए (८)/५५ की एक प्रति।

(७) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उप-धारा (२) के अधीन वर्ष १९५५–५६ के लिये एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(८) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अधीन ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये पुर्नवास आवास निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(९) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अधीन विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) १५ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३००/आर संशोधन ग्यारह।

(दो) २१ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८२/ शोधन बारह।

(तीन) ३१ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४३४/आर संशोधन तेरह।

(१०) निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ५६ की उप-धारा (४) के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति केन्द्रीय व्यवस्था नियम, १९५० में कुछ संशोधन करने वाली २० फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ६६७।

(११) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अधीन नारियल जटा बोर्ड के १ अप्रैल, १९५६ से ३० सितम्बर १९५६ तक की अवधि के कार्यों के छमाही प्रतिवेदन की एक प्रति।

(१२) स्वर्गीय के० जी० शिवस्वामी के विमति टिप्पण तथा अनुबन्धों और परिशिष्टों सहित रबड़ उद्योग के बारे में बागान जांच आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(१३) काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अधीन काफी नियम, १९५५ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) १८ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या १५ (२) प्लांट/बी/५६।

(दो) १८ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या १५ (१०) प्लांट/बी/५६।

(१४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा (३) की उप-धारा (६) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) १८ जुलाई, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९६७।

(दो) २३ अगस्त, १९५६ की अधिसूचना, संख्या एस० आर० ओ० १८८५।

(तीन) १९ अक्तूबर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४०३।

(चार) १९ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३१५१।

(१५) १९ दिसम्बर, १९५६ की एस० आर० ओ० संख्या ३१५१ की एक प्रति।

(१६) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) मोटर उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५६)

(दो) २३ जनवरी, १९५७ का सरकारी संकल्प संख्या २१ (४)—टीबी/५६।

(१७) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम १९५१ की धारा ३० की उप-धारा (४) के अधीन औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन और अनुज्ञप्ति देने के नियम, १९५२ में कुछ संशोधन करने वाली १ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ६९९—आई डी आर ए/३०/१/५७।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों को उपस्थापित किया जाना २१

चौवालिसवें और पैंतालिसवें प्रतिवेदन को उपस्थापित किया गया।

सदस्य द्वारा पर त्याग २१

अध्यक्ष ने लोकसभा को बताया कि श्री उदयशंकर दुबे ने १५ मार्च, १९५७ से लोक सभा के अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है।

रेलवे आयव्ययक का उपस्थापन २१-२४

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने रेलवे के बारे में वर्ष १९५७–५८ के लिये भारत सरकार के अनुमित आय व्यय का एक विवरण उपस्थापित किया।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण २४

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने १९५६-५७ के लिये आय व्ययक (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण २५

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने १९५२–५३ के लिये आय व्ययक (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगो का एक विवरण उपस्थापित किया ।

केरल राज्य की संचित निधि में से किये गय व्यय का विवरणं २५

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने १९५६–५७ के वित्तीय वर्ष के अन्तिम पांच महीनों में केरल राज्य की संचित निधि से किये गये व्यय का, जिसका अधिकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ७० के अधीन दिया गया था, एक विवरण उपस्थापित किया ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेलवे) का विवरण २६

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने १९५६–५७ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया ।

पारित किय गये विधेयक २६-३८

(१) राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) ने समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया गया ।

(२) गृह कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पंत) ने विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-वार विचार के बाद विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया गया ।

सामान्य आयव्ययक का उपस्थापन ३८-४२

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने वर्ष १९५७-५८ के लिये भारत सरकार की अनुमित आयव्यय का एक विवरण उपस्था-पित किया ।

पुरस्थापित विधेयक ४२-४३

वित्त विधेयक, १९५७

नियम समिति का प्रतिवेदन ४३

आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन ४३

अड़तालिसवां प्रतिवेदन पटल पर रखा गया ।

बुधवार, २० मार्च, १९५७ के लिए कार्यावलि

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा ।